मास्टर परिपत्र
Master
Circular

निर्यातकों को रुपये में /विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण तथा ग्राहक सेवा

RUPEE/FOREIGN CURRENCY EXPORT CREDIT & CUSTOMER SERVICE

(30 ून 2007 तक अद्यतन/Updated upto June 30, 2007)

बैंकिंग परि ालन और विकास विभाग
Department of Banking Operations & Development

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

केंद्रीय कार्यालय
Central Office

मुं ई
Mumbai

आर ीआइ /2007-08/30
ैपविवि.सं.डीआइआर.(ईएक्सपी).बीसी. 01/04.02.02/2007-08

2 ुलाई 2007
11 आषा 1929(शक)

सभी अनुसू ित वाणि य ैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर)

महोदय

निर्यातकों को रुपये में /विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण
तथा ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र

ैसा कि आप ानते है, भारतीय रिज़र्व ैंक ने उपर्युक्त विषयों पर तीन मास्टर परिपत्र अर्थात् (i) रुपया निर्यात ऋण पर दिनांक 01 ुलाई 2006 का मास्टर परिपत्र ैंपविवि.सं. डीआइआर. (ईएक्सपी) 01/04.02.02/ 2006-07, (ii) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर दिनांक 1 ुलाई 2006 का मास्टर परिपत्र ैंपविवि.सं. डीआइआर.(ईएक्सपी) 02/04.02.02/2006-07 तथा (iii) निर्यात ऋण- ग्राहक सेवा, निर्यात ऋण दिए ाने से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण और रिपोर्ट भे ाने संबंधी अपेक्षाओं पर दिनांक 1 ुलाई 2006 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. (ईएक्सपी) 03/ 04.02.02/ 2006-07 ारी किये थे ताकि इस विषय से सं ंधित सभी वर्तमान अनुदेश एक ही ागह उपल ध हो सकें । उक्त मास्टर परिपत्रों में निहित अनुदेशों को अब 30 ून 2007 तक अद्यतन ाना दिया गया है और पहले के उक्त तीनों मास्टर परिपत्रों को अब समेकित कर दिया गया है। संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति संलग्न है। यह नोट किया ाए कि ाहाँ तक ैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को निर्यात ऋण दिए ाने का सं ंध है, परिशिष्ट में सू ीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित तथा अद्यतन किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में बैंकों / निर्यातकों / निर्यात संगठनों को इस वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ारी ऐसे कतिपय स्पष्टीकरणों में निहित अनुदेशों को भी शामिल किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

भवदीय

(पी. वि ाय भास्कर)
मुख्य महाप्र ंधक

विषय-वस्तु

भाग-क

रुपया निर्यात ऋण

1.	**पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण**	**4**
2.	**पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण**	**15**
3.	**मानित निर्यात -रियायती रुपया निर्यात ऋण**	**21**
4.	**निर्यात ऋण पर ब्या ा**	**21**
	भाग-ख **विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण**	
5.	**विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण**	**26**
6.	**विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण**	**36**
7.	**निर्यात ऋण पर ब्या ा**	**41**
	भाग-ग **निर्यात ऋण- ग्राहक सेवा, निर्यात ऋण दिए ाने से संबंधित क्रियाविधि का सरलीकरण और रिपोर्ट भे ाने संबंधी अपेक्षाएं**	
8.	**ग्राहक सेवा तथा ऋण दिये ाने संबंधी क्रियाविधि का सरलीकरण**	**42**
9.	**रिपोर्ट भे ाने संबंधी अपेक्षाएं**	**51**
10.	**हीरों के निर्यातकों को पोतलदानपूर्व ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड और सियेरा लियोन के अपरिष्कृत हीरे**	**52**
	अनुबंध 1 निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशें	**54**
	अनुबंध 2 निर्यात ऋण डाटा (संवितरण/बकाया)	**56**
	अनुबंध 3 हिरा ग्राहकोंसे प्राप्त किया ाानेवाला व ान-पत्र	**57**
	परिशिष्ट I रुपया निर्यात ऋण - परिपत्र	**58**
	परिशिष्ट II विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - परिपत्र	**66**
	परिशिष्ट III निर्यात ऋण - ग्राहक सेवा - परि पत्र	**67**

भाग - क

रुपया निर्यात ऋण

1. पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण

1.1 रुपया पोतलदानपूर्व ऋण /पैकिंग ऋण

1.1.1 *परिभाषा*

पोतलदानपूर्व /पैकिंग ऋण किसी ैंक द्वारा किसी निर्यातक को मं ूर किया गया या दिया गया ऐसा ऋण या अग्रिम ै ो भारत से ाा-र स्थित किसी आयातक द्वारा निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में खोले गए साख-पत्र के आधार पर या भारत से वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए पुष्ट और अपरिवर्तनीय आदेश या निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति को भारत से ाा-र निर्यात करने सं ंधी आदेश के किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर (ाशर्ते निर्यात आदेश **दिए ाने** या ैंक में साखपत्र खोले ाने से **छूट न दे दी गई -ो)** पोतलदान से प-ले वस्तुओं के **क्रय, प्रसंस्करण, विनिर्माण या पैकिंग कार्यों / सेवाएं देने के लिए कार्यकारी पूं ीगत व्यय के लिए** अपेक्षित वित्त के रूप में उपल ध कराया गया -ो ।

1.1.2 *अग्रिम की अवधि*

(i) पैकिंग ऋण सं ंधी अग्रिम कितनी अवधि के लिए दिया ाए, य- प्रत्येक मामले में माल प्राप्त करने/सेवाएं प्रदान करने में लगने वाले समय, उसके विनिर्माण या प्रसंस्करण (ा-ाँ आवश्यक -ो) और माल को ा-ा ा पर लादने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा । **य- मुख्यत: ैंक का दायित्व ै कि व- विभिन्न परिस्थितियों का ध्यान रखते ुए स्वयं निर्धारित करे कि पैकिंग ऋण सं ंधी अग्रिम कितनी अवधि के लिए दिया ाए ताकि निर्यातक को इतना समय मिल सके कि व- माल को ा-ा ा में लाद सके/ सेवाएं प्रदान कर सके।**

(ii) **अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर यदि निर्यात सं ंधी दस्तावे ा प्रस्तुत करके पोतलदानपूर्व अग्रिम समायोि ात न-ीं कर दिया ाता तो निर्यातक को दिए गए अग्रिम पर प्रारंभ से -ी रियायती या ा दर की सुविधा न-ीं दी ाएगी।**

(iii) **भारतीय रिज़र्व ैंक केवल 180 दिन तक की अवधि के लिए -ी पुनर्वित्त उपल ध कराएगा ।**

1.1.3 *पैकिंग ऋण का संवितरण*

(i) सामान्यत:, मं ूर किया गया प्रत्येक पैकिंग ऋण अलग-अलग खाते के रूप में रखा ाना ाि-ए ताकि मं ूरी की अवधि और ऋण के उद्दिष्ट उपयोग पर न ार रखी ा सके ।

(ii) आदेश /साख-पत्र के कार्यान्वयन के लिए ैंक पैकिंग ऋण एक ार में या आवश्यकता के अनुसार कई ारणों में उपल ध करा सकते ैं ।

(iii) निर्यात की ानेवाली वस्तुओं के प्रकार के आधार पर (ैसे दृष्टि ंधक, ंधक इत्यादि) ैंक प्रसंस्करण, विनिर्माण इत्यादि विभिन्न ारणों पर अलग-अलग खाते रख सकते ैं तथा वे य- सुनिश्ि ात करें कि ऐसे खातों के ाकाया शेषों का समायो ान, एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण द्वारा और अंततोगत्वा क्रय, छूट, इत्यादि के उपरांत सं ंधित निर्यात-दस्तावे ों की आय से, कर लिया ाता ै ।

(iv) ैंकों को ऋण की राशि के उद्दिष्ट उपयोग पर कड़ी न ार रखनी ाि-ए तथा य- सुनिश्ि ात करना ाि-ए कि कम या ा दर पर उपल ध कराये गए ऋण का उपयोग निर्यात सं ंधी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए -ी किया ा र-ा ै। ैंकों को निर्यात सं ंधी आदेशों के ठीक समय से कार्यान्वयन के मामले में निर्यातकों द्वारा की ा र-ी कार्रवाई पर भी न ार रखनी ाि-ए ।

1.1.4 *पैकिंग ऋण का परिसमापन*

(i) सामान्य

किसी निर्यातक को स्वीकृत किया गया पैकिंग ऋण /पोतलदानपूर्व ऋण को निर्यात की गई वस्तुओं की खरीद, छूट आदि के ाद ानाए गए बिलों की प्राप्तियों में से परिसमाप्त किया ाए। इस प्रकार पोतलदान पूर्व ऋण को पोतलदानोत्तर ऋण में परिवर्तित कर दिया ाएगा। इसके साथ -ी, निर्यातक और ैंकर के ी ा आपसी स-मति के अधीन इसे, विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खाते (ई ई एफ सी खाते) के शेष तथा निर्यातक द्वारा किए गए वास्तविक निर्यात के ारा ार निर्यातक के रुपयों के संसाधनों से भी ुकता/समय से पूर्व अदा किया ा सकता ै। यदि ऋण का इस प्रकार परिसमापन/ ुकौती न -ो सके तो ैंक पैरा 4.2.1 में दर्शाए गए अनुसार अग्रिम की तिथि से या ा की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र ैं।

(ii) निर्यात मूल्य से अधिक पैकिंग ऋण

(क) ा-ाँ उप-उत्पाद का निर्यात किया ा सकता -ो

ि ान मामलों में का ू इत्यादि ैसे कृषि-उत्पादों के प्रसंस्करण के कारण -ोने वाली कमी के ालते निर्यातक पैकिंग ऋण को समाप्त करने के लिए समान मूल्य का निर्यात बिल प्रस्तुत न-ीं कर सकता ै, उनमें ैंक निर्यातकों को, अन्य ातों के साथ-साथ, इस ात की अनुमति दे

सकते ैं कि वे का ू का तेल इत्यादि ैसे उप-उत्पादों से सं ंधित आ-रित निर्यात बिलों द्वारा अधिक पैकिंग ऋण का समापन कर सकें ।

(ख) ा-ाँ आंशिक घरेलू बिक्री की ा सकती -ो

लेकिन तं ाकू, कालीमि ि, इलाय ी, का ू इत्यादि ैसे कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात के मामले में, निर्यातक उत्पाद थोड़ी अधिक मात्रा में खरीदे तथा उसे निर्यात योग्य व न निर्यात योग्य श्रेणियों में रखे और केवल निर्यात योग्य श्रेणी की वस्तुओं का -ी निर्यात करे। न निर्यात योग्य शेष उत्पादों की स्थानीय बिक्री अनिवार्य ै। ि ास पैकिंग ऋण में ऐसी न निर्यात योग्य वस्तुएँ शामिल -ें, उनमें ैंको के लिए आवश्यक ै कि वे पैकिंग ऋण दिए ाने की तारीख से -ी, घरेलू अग्रिमों पर लगाए ाने वाले या ा की दर से वाणि यक दर पर या ा लें और पैकिंग ऋण के उतने भाग के लिए भारतीय रिज़र्व ैंक से पुनर्वित्त की कोई सुविधा प्राप्त न-ीं -ोगी ।

ग) डीऑयल्ड/डीफैटेड केक का निर्यात

ैंक निर्यातकों को ए ा पी एस मूँगफली तथा डीऑयल्ड /डीफैटेड केक के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम मं ूर कर सकते ैं लेकिन य- राशि अपेक्षित क ो माल के मूल्य की सीमा तक -ोनी ाि-ए, भले -ी उसका (क ो माल का) मूल्य निर्यात आदेश के मूल्य से अधिक -ो। निर्यात आदेश से अधिक राशि का अग्रिम रियायती या ा दर लगाए ाने के लिए तभी पात्र -ोगा ा ा कि उसका समायो ान नकद रूप में या शेष उप-उत्पाद तेल की बिक्री द्वारा अग्रिम की तारीख से तीस दिनों के भीतर कर दिया ाए ।

(iii) तथापि, ैंकों का इस ात की परि ालन **छूट** ै कि वे **अ छे ट्रैक रिकार्ड** वाले निर्यातकों को निम्नलिखित छूट प्रदान कर सकें:

(क) निर्यात दस्तावे ों की आय से पैकिंग ऋण की ुकौती/का समापन किया ाता र-ेगा । **लेकिन ऐसा, निर्यातक द्वारा निर्यात की गई किसी अन्य वस्तु या उसी वस्तु से सं ंधित अन्य आदेश से सं ाद्ध निर्यात दस्तावे ों से भी किया ा सकता ै ।** संविदा के इस प्रकार प्रतिस्थापन की अनुमति देते समय ैंको को य- सुनिश्ि ात करना ाि-ए कि ऐसा करना वाणि यक दृष्टि से आवश्यक और अपरि-ार्य ै। ैंक को उन कारणों से संतुष्ट -ो लेना ाि-ए कि किसी खास वस्तु के पोतलदान के लिए दिया गया पैकिंग ऋण सामान्य तरीके से समाप्त क्यों न-ीं किया ा सकता। यदि निर्यातक ने सं ंधित ैंक में खाता खोल रखा ै या यदि स-ायता संघ गठित किया गया ै और इस संघ के सदस्यों ने अनुमति दे दी ै तो संविदा के प्रतिस्थापन की अनुमति यथासंभव दी ानी ाि-ए ।

(ख) वर्तमान पैकिंग ऋण का समापन किसी ऐसे निर्यात दस्तावे ा की आय से भी किया ा सकता ै ि ासके आधार पर निर्यातक ने कोई पैकिंग ऋण न-ीं लिया ै । फिर भी ऐसा संभव ै कि निर्यातक किसी एक ैंक से पैकिंग ऋण लेकर सं ंधित दस्तावे ा किसी दूसरे ैंक में प्रस्तुत कर दे । इस संभावना को दृष्टिगत रखते ुए ैंक ऐसी सुविधा य- सुनिश्ि ात करने के ाद

उपल ध कराएँ कि निर्यातक ने प्रस्तुत किए गए दस्तावे ों के माध्यम से किसी अन्य ैंक से पैकिंग ऋण न-ीं लिया ै। यदि किसी अन्य बैंक से पैकिंग ऋण लिया गया है तो ि स बैंक को दस्तावे ा प्रस्तुत किये गये हैं उसे यह सुनिश्ि ात करना ाहिए कि प्राप्त राशि का उपयोग पहले बैंक से लिये गये पैकिंग ऋण को समाप्त करने के लिए किया ाता है ।

(ग) स-योगी संस्थाओं /अधीनस्थ संस्थाओं/उसी समू- की अन्य संस्थाओं को ऐसी छूट **न-ीं प्रदान की ानी ाि-ए ।**

1.1.5 *' ालू खाता' सुविधा*

(i) ैसा कि ऊपर ाताया गया ै, निर्यातकों को पोतलदानपूर्व ऋण सामान्यत: साखपत्र या निर्यात सं ंधी पक्का आदेश प्रस्तुत किए ाने के ाद प्रदान किया ाता ै । य- पाया गया ै कि कुछ मामलों में क ो माल की उपल धता किसी खास मौसम में -ी -ोती ै, कुछ अन्य मामलों में निर्यात सं ंधी संविदा के अनुसार माल के निर्यात के लिए ो समय-सीमा निश्ि ात की गयी -ोती उसकी तुलना में उस माल के विनिर्माण और उसके पोतलदान में अधिक समय लगता ै। कई मामलों में विदेशी खरीददारों से साख-पत्र /पक्का निर्यात आदेश प्राप्त -ोने की आशा के आधार पर भी निर्यातकों को क ा माल खरीदकर निर्यात योग्य वस्तु का निर्माण करके पोतलदान के लिए तैयार रखना पड़ता ै । ऐसे मामलों में, पर्याप्त पोतलदानपूर्व ऋण प्राप्त करने में निर्यातको को -ो र-ी कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते ुए ैंकों को इस ात के लिए अधिकृत किया गया ै कि वे अपने विवेक के आधार पर, साख-पत्र या पक्का आदेश के पूर्व प्रस्तुतीकरण ेतु ोर डाले िना भी, **किसी भी वस्तु** के मामले में पोतलदान पूर्व ऋण **' ालू खाता' (रनिंग एकाउंट)** सुविधा प्रदान करें लेकिन ऐसी स्थिति में निम्नलिखित शर्तें भी लागू -ोंगी :

(क) ैंक ' ालू खाता' सुविधा केवल ऐसे निर्यातकों को उपल ध कराएँ ि निका **ट्रैक रिकार्ड अ छा** -ो। य- सुविधा निर्यातोन्मुख इकाइयों/मुक्त व्यापार क्षेत्रों/ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को भी दी ा सकती है ।

(ख) ि न मामलों में पोतलदानपूर्व ऋण ालू खाता सुविधा प्रदान की ाए उन स ा में साखपत्र/पक्का आदेश उपयुक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया ाना ाि-ए तथा ऐसी अवधि का निर्धारण ैंक करेंगे ।

(ग) एक-एक निर्यात बिल ैसे- ैसे ो ान /संग्र- के लिए प्राप्त -ों ैंकों को ाि-ए कि 'प-ले ऋण का प-ले समापन' के आधार पर स ासे प-ले के ाकाया पोतलदानपूर्व ऋण का समापन करें। य- क-ने की आवश्यकता न-ीं ै कि ऊपर ाताए गए तरीके से पोतलदानपूर्व ऋण का समापन करते समय ैंकों को य- सुनिश्ि ात करना ाि-ए कि रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी भी पोतलदानपूर्व ऋण की अवधि मं ूरी की अवधि या 360 दिन, दोनों में से ो भी प-ले -ो, से अधिक न -ोने पाए ।

(घ) पैकिंग ऋण का समापन ऐसे निर्यात दस्तावे ा की आय से भी किया ा सकता ै ि सके आधारपर निर्यातक ने कोई पैकिंग ऋण न-ीं लिया ै ।

(ii) यदि य- पाया ाए कि निर्यातक इस सुविधा का दुरुपयोग कर र-े ै तो य- सुविधा तुरंत वापस ले ली ाए ।

(iii) ि न मामलों में निर्यातक शर्तों का पालन न-ीं करेंगे उनमें अग्रिमों पर **प्रारंभ से -ी वाणि यक दर पर या ा** लगाया ाएगा। ऐसे मामलों में सं ंधित पोतलदानपूर्व ऋणों के मामलों में ैंकों द्वारा रिज़र्व ैंक से लिए गए पुनर्वित्त पर उ ातर दर पर या ा का भुगतान किया ाना -ोगा । ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व ैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुं ाई - 400 001 को भे ी ानी ाि-ए ताकि व- पुनर्वित्त पर लगाए ाने वाले या ा की दर निश्ि ात कर सके ।

(iv) **उप-आपूर्तिकर्ताओं को ालू खाता सुविधा न-ीं प्रदान की ानी ाि-ए ।**

1.1.6 पैकिंग ऋण पर या ा

या ा दर का विवरण तथा उससे सं ंधित अनुदेश पैराग्राफ 4 में दिए गए ै ।

1.1.7 निर्यात सं ंधी अग्रिम भुगतान वाले ैंक ड्राफ्टों इत्यादि की आय के आधार पर निर्यात ऋण

(i) ि न मामलों में निर्यातकों को निर्यात के लिए भुगतान के रूप में विदेश से ोकों, ड्राफ्टों इत्यादि के रूप में सीधे प्रेषण प्राप्त -ों, उनमें अ छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों को ैंक विदेश से प्राप्त ोकों, ड्राफ्टों इत्यादि की आय की वसूली तक की अवधि के लिए रियायती या ा दर पर निर्यात ऋण मं ूर कर सकते ै परंतु ऐसा, इस ात से संतुष्ट -ोने के ाद किया ाना ाि-ए कि य- किसी निर्यात आदेश पर आधारित है, सं ंधित वस्तुओं के मामले में व्यापारिक प्रथाओं के अनुरूप ै और प्र ालित नियमों के अनुसार निर्यात सं ंधी आय की वसूली का य- अनुमोदित तरीका ै ।

(ii) यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी न किए ाने तक किसी निर्यातक को सामान्य वाणि यक या ा दर पर स-ायता मं ूर की गयी ै तो उपर्युक्त शर्तें ाद में पूरी कर लिए ाने पर ैंक पीछे की तारीख से रियायती दर पर या ा लगा सकते ै और निर्यातक को या ा दरों में अंतर की ाशि वापस कर सकते ै ।

1.2 खास क्षेत्रों/खंडों को रुपया पोतलदानपूर्व ऋण

1.2.1 *रा य व्यापार निगमों/खनि ा और धातु व्यापार निगम या अन्य निर्यात गृ-ों, ए ोन्सियों इत्यादि के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए निर्माता आपूर्तिकर्ताओं को रुपया निर्यात पैकिंग ऋण*

(i) ैंक ऐसे निर्माता आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात पैकिंग ऋण मं ूर कर सकते ै ि नके पास निर्यात आदेश साखपत्र न-ीं ै, और माल का निर्यात रा य व्यापार निगमों/खनि ा और धातु व्यापार निगम या अन्य निर्यात गृ-ों, ए ोन्सियों इत्यादि के माध्यम से किया ाता ै ।

(ii) ऐसे अग्रिम पुनर्वित्त के लिए पात्र -ोंगे, ाशर्ते, सामान्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तों का भी पालन किया गया -ो:

क) ैंक को निर्यात गृ- से एक पत्र प्राप्त करना ाि-ए ि ासमें निर्यात आदेश तथा उसके उस भाग का विवरण दिया गया -ो ि ासे आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया ाना ै तथा ि ासमें य- प्रमाण पत्र दिया गया -ो कि निर्यात गृ- ने आदेश के उस भाग के लिए, ि ासे आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया ाना ै, कोई पैकिंग ऋण सुविधा न तो ली ै और न -ी ाद में ऐसी सुविधा लेगा ।

ख) ैंक को ाि-ए कि व- आपसी वि ार-विमर्श करके तथा निर्यात गृ- और आपूर्तिकर्ता (यानि दोनों पक्षों) की निर्यात सं ंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ुए उन दोनों - अर्थात् निर्यात गृ- और आपूर्तिकर्ता के ी ा पैकिंग ऋण की इस अवधि को विभाि ात कर देगा ि ासके लिए रियायती दर पर या ा लगाया ाना ै। पोतलदानपूर्व ऋण पर निर्धारित अवधि तक रियायती दर पर लगाया ाने वाला या ा निर्यात गृ-/ए ोन्सी और आपूर्तिकर्ता दोनों को मिलाकर -ी लिया ाएगा।

ग) निर्यात साखपत्रों या आदेशों का अपेक्षित विवरण देते ुए निर्यात गृ- को आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोल देना ाि-ए तथा पैकिंग ऋण खाते से सं ंधित ाकायों को, ऐसे देशी साखपत्रों के अंतर्गत बिलों का ो ाान करके, समाप्त किया ाना ाि-ए । यदि निर्यात गृ- के लिए आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोलना असुविधा ानक -ो तो आपूर्तिकर्ता को ाि-ए कि व- निर्यात के लिए आपूर्ति किए गए माल के सं ंध में निर्यात गृ- पर बिलों का आ-रण करे और ऐसे बिलों से प्राप्त आय से पैकिंग ऋण सं ंधी अग्रिमों का समायो ान करे। यदि ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आ-रित बिलों के साथ लदान-पत्र या निर्यात सं ंधी अन्य दस्तावे ा न -ों तो ैंक को -र तिमा-ी के अंत में आपूर्तिकर्ता के माध्यम से निर्यात गृ- से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना ाि-ए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आपूर्ति की गयी वस्तुओं का वस्तुत: निर्यात किया गया ै। प्रमाण-पत्र में सं ंधित बिल की तारीख, राशि और ैंक का नाम दिया ाना ाि-ए ि ासके माध्यम से बिलों का ो ाान किया गया ै ।

घ) ैंकों को आपूर्तिकर्ता से इस आशय का व ान पत्र प्राप्त करना ाि-ए कि सं ंधित निर्यात आदेश के लिए निर्यात गृ- से यदि कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त -ोगा तो उसे पैकिंग ऋण खाते में ामा कर दिया ाएगा ।

1.2.2 उप-आपूर्तिकर्ताओं को रुपया निर्यात पैकिंग ऋण

ैसा कि निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता आपूर्तिकर्ता के ी ा -ोता ै, उसी प्रकार निर्यात आदेश धारक तथा निर्यातित माल के क ो माल, घटकों इत्यादि के उप-आपूर्तिकर्ता के ी ा भी पैकिंग ऋण विभाि ात किया ा सकता ै परन्तु इस मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू -ोंगी :

(क) **यो ाना के अंतर्गत ालू खाता सुविधा प्रदान न-ीं की ाएगी।** यो ाना के अंतर्गत, निर्यात गृ-ों/व्यापार गृ-ों/स्टार व्यापार गृ-ों इत्यादि या निर्माता निर्यातकों के पक्ष में प्राप्त निर्यात आदेश या इनसे सं ंधित साखपत्र -ी शामिल -ोंगे। निर्यातक के अ छे ट्रैक रिकार्ड के आधार पर -ी इस यो ाना का लाभ उसे दिया ाना ाि-ए।

(ख) निर्यात आदेश धारक के ैंकर देशी साखपत्र खोलेंगे । साखपत्र में उस माल का विवरण दिया ााएगा ि ासकी आपूर्ति उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात सं ांधी लेनदेन के अंग के रूप में, आदेश धारक को प्राप्त निर्यात आदेश या साख-पत्र के आधार पर निर्यात की ाानेवाली -ै । ऐसे साखपत्र के आधार पर उप-आपूर्तिकर्ता का ैंकर कार्यशील पूँ ाी के रूप में निर्यात पैकिंग ऋण मं ाूर करेगा ताकि उप-आपूर्तिकर्ता ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर सके ि ानकी आवश्यकता निर्यात की ााने वाली वस्तुओं के लिए -ोती -ै । माल की आपूर्ति के ााद, साखपत्र खोलनेवाला ैंक खोले गए देशी साखपत्र के आधार पर प्राप्त देशी दस्तावे ाों को आधार मानकर उप-आपूर्तिकर्ता के ैंक को भुगतान कर देगा। इसके ााद ऐसे भुगतान निर्यात आदेश धारक का निर्यात पैकिंग ऋण -ो ााएँगे ।

(ग) य- निर्यात आदेश धारक पर निर्भर करता -ै कि व- प्राप्त आदेश या साखपत्र की समग्र सीमा के भीतर, अपने ैंकर / ैंकों के स-ायता संघ के नेता के अनुमोदन से, अपेक्षित वस्तुओं के लिए कितने साखपत्र खोले। परि ाालनगत सुविधा को दृष्टिगत रखते -ुए य- साखपत्र खोलने वाले ैंक पर निर्भर करता -ै कि व- साखपत्र खोले ााने के लिए न्यूनतम राशि कितनी निर्धारित करे। आपूर्तिकर्ता(ओं) द्वारा व्यक्तिगत या पृथक रूप से तथा निर्यात आदेशधारक द्वारा लिए गए पैकिंग ऋण की कुल अवधि निर्यात की गयी वस्तुओं के लिए अपेक्षित सामान्य उत्पादन ाक्र के भीतर -ोनी ाा-िए । सामान्यत:, कुल अवधि की गणना उप-आपूर्तिकर्ताओं में से किसी एक द्वारा पैकिंग ऋण के प्रथम आ-रण की तारीख से निर्यात आदेश धारक द्वारा निर्यात दस्तावे ाों के प्रस्तुतीकरण की तारीख तक की ााएगी ।

(घ) निर्यात आदेश धारक निर्यात आदेश या विदेश में खोले गए साखपत्र के अनुसार माल के निर्यात के लिए उत्तरदायी -ोगा तथा इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के विलम् ा के लिए व- समय-समय पर लागू किए ाा र-े दांडिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई का पात्र -ोगा। उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा देशी साखपत्र की शर्तों के अनुसार निर्यात आदेशधारक को माल उपल ध करा दिए ााने के ााद, इस यो ाना के अंतर्गत उसका दायित्व सम्पादित मान लिया ााएगा तथा निर्यात आदेशधारक यदि किसी प्रकार से विलम् ा करेगा तो ऐसे विलम् ा के लिए उप-आपूर्तिकर्ता पर कोई दांडिक प्रावधान लागू न-ीं -ोगा ।

(ड.) य- यो ाना निर्यातित माल के मामले में, निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता के ाी ा पैकिंग ऋण की ि-स्सेदारी की वर्तमान व्यवस्था के अलावा एक अतिरिक्त सुविधा -ै, ैसा कि ऊपर पैरा 1.2.1 में ाताया गया -ै । इस यो ाना के अंतर्गत **उत्पादन ाक्र का केवल प्रथम ारण -ी शामिल -ोगा।** उदा-रण के लिए, किसी निर्माता निर्यातक को ऐसे सामानों के अपने निकटतम आपूर्तिकर्ता के पक्ष में देशी साखपत्र खोलने की अनुमति दी ााएगी ाो निर्यातयोग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक -ों। इस यो ाना का लाभ ऐसे निकटतम आपूर्तिकर्ताओं को क ाे माल/सामानों की आपूर्ति करने वालों को न-ीं दिया ााएगा। यदि निर्यात आदेशधारक मात्र व्यापार गृ- -ै तो य- सुविधा उस निर्माता से आरंभ करके शुरू करायी ााएगी ि ासे व्यापार-गृ- ने निर्यात आदेश -स्तांतरित किया -ै ।

(ा) निर्यात के प्रयो ान ेतु किसी दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को माल की आपूर्ति करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र/भी इस यो ाना के अंतर्गत रुपया पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण प्राप्त करने का पात्र ोंगे। तथापि निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की आपूर्तिकर्ता इकाई किसी पोतलदानोत्तर सुविधा के लिए पात्र न ीं ोगी क्योंकि इस यो ाना के अंतर्गत वस्तुओं की उधार बिक्री शामिल न ीं ै ।

(छ) इस यो ाना के अंतर्गत अग्रिम की कुल राशि या अवधि में कोई परिवर्तन करने का वि ाार समा ित न ीं ै। तदनुसार, देशी निर्यात साखपत्र प्रणाली के अंतर्गत उप-आपूर्तिकर्ता को अग्रिम दिए ाने की तारीख से निर्यात आदेश धारक द्वारा उसे समाप्त किए ाने की तारीख तक और निर्यात आदेशधारक द्वारा वस्तुओं के पोतलदान के माध्यम से पैकिंग ऋण का परिसमापन किए ाने की तारीख तक इस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया ऋण निर्यात ऋण माना ाएगा और इसके लिए सं ंधित ैंक उपयुक्त अवधि के लिए रिज़र्व ैंक से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने का पात्र ोगा। य सुनिश्ि ात किया ाना ाि ए कि एक ी ारण के किसी लेनदेन के लिए दो ाार वित्तपोषण न किया ाए ।

(ा) निर्यात ऋण गारंटी निगम से उपयुक्त ीमा सुविधा प्राप्त करने के लिए ैंक ऐसे अग्रिमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम से संपर्क कर सकते ैं ।

(ा) इस यो ाना के अंतर्गत उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्यात आदेश धारक /निर्माता को ऋण दिए ाने के सं ंध में कोई ात न ीं क ी गयी ै। अत: साखपत्र खोलने वाले ैंक द्वारा, भुगतान को निर्यात आदेशधारक का निर्यात पैकिंग ऋण मानकर ी, दस्तावे ों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर उप-आपूर्तिकर्ताओंको भुगतान किया ाना ै ।

1.2.3. *निर्माण ठेकेदारों को रुपया पोतलदानपूर्व ऋण*

(i) निर्माण ठेकेदारों को विदेशों में प्राप्त ठेकों को पूरा करने के लिए उनकी प्रारंभिक कार्यशील पूँ ी सं ंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैकिंग ऋण अग्रिम, विदेश से प्राप्त सुनिश्ि ात संविदा के आधार पर, एक अलग खाते में दिए ाने ाि ए। लेकिन ऐसे अग्रिम ठेकेदारों से इस आशय का व ानपत्र प्राप्त करने के ाद ी दिए ाने ाि ए कि उन्हें संविदा सं ंधी कार्य पूरा करने के लिए प्रारंभिक व्यय के रूप में, अर्थात विदेश में संविदा पूरी करने के प्रयो ान ेतु उपभोग्य वस्तुएँ खरीदने और आवश्यक तकनीकी स्टाफ के आवागमन पर ख ा इत्यादि ेतु, उक्त वित्त की आवश्यकता ै ।

(ii) अग्रिमों का समायो ान, संविदा सं ंधी बिलों का ो ान करके या विदेश में पूरी की गयी संविदा के सं ंध में विदेश से प्राप्त प्रेषणों द्वारा, अग्रिम की तारीख से 180 दिनों के भीतर किया ाना ाि ए। खाते में ाकाया ि ातनी राशि का समायो ान निर्धारित तरीके से न ीं ो पाता ै, उतनी राशि के लिए ैंक सामान्य दर पर या ा लगा सकते ैं ।

(iii) सेवाओं के निर्यात स ित परियो ाना निर्यात संविदाओं का काम करने वाले निर्यातकों को भारतीय रिज़र्व ैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुं ाई द्वारा समय-समय पर ारी किए गए दिशानिर्देशों/अनुदेशों का पालन करना ोगा ।

1.2.4 सेवाओं का निर्यात

व्यापार के सामान्य करार के अधीन आनेवाली व्यापार योग्य सभी 161 सेवाओं के निर्यातकों को पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर वित्त उन सेवाओं को प्रदान किया ाए ाहां ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान 2004-09 की विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में बताये अनुसार मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है । इस परिपत्र के सभी प्रावधान ाब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया ाएं तब तक यथोा ित परिवर्तनों सहित निर्यात सेवाओं के निर्यात पर उसी तरह लागू होंगे ैसे कि वस्तुओं के निर्यात पर लागू होते हैं । सेवाओं की सू ाी 2004-09 की विदेश व्यापार नीति की हैंडबुक (खंड I) के परिशिष्ट 36 में दी गयी है । वित्तपोषक बैंक को यह सुनिश्ि ात करना ाहिए कि कोई दोहरा वित्तपोषण न हो तथा निर्यात ऋण विदेश से प्राप्त होनेवाले प्रेषणों से ुकाया ाता है । निर्यात ऋण मं ूर करते समय बैंक निर्यातक/विदेश स्थित काउंटर पार्टी के ट्रेक रिकार्ड को ध्यान में रखें । ऐसे सेवा प्रदाताओं से निर्यात से प्राप्य राशियों के विवरण का विदेश स्थित पार्टी से प्राप्त देय राशि के विवरण के साथ मिलान किया ाए ।

कारोबार के भिन्न-भिन्न स्वरूप और निर्यात की ानेवाली सेवाओं की श्रेणियों की बड़ी संख्या तथा प्रगामी अविनियमन के वातावरण को देखते हुए, ाहां व्यष्टि प्रबंधन संबंधी मामलों का अलग-अलग वित्तपोषक बैंकों द्वारा निर्णय करने के लिए छोड़ दिया गया है, बैंक अपने स्वयं के मानदंड बना सकते हैं । सेवाओं के निर्यातक उपभोक्ता वस्तुओं, वेतन आपूर्तियों आदि के लिए कार्यकारी पूं ागत निर्यात ऋण (पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर) हेतु पात्र हैं ।

बैंक यह सुनिश्ि ात करें कि -

- प्रस्ताव सेवाओं के निर्यात का वास्तिक मामला है ।
- सेवा निर्यात की मद हैंडबुक (खंड I) के परिशिष्ट 36 के अंतर्गत आती है ।
- निर्यातक सेवाओं के लिए निर्यात संवर्धन परिषद में पं ाीकृत है ।
- यह निर्यात संविदा सेवा के निर्यात हेतु है ।
- कार्यकारी पूं ागत व्यय के परिव्यय और सेवा उपभोक्ता या विदेश में उसकी मूल संस्था से भुगतान की वास्तविक प्राप्ति के बी ा अंतराल है ।
- वैध कार्यकारी पूं ागत अंतराल है अर्थात् पहले सेवा प्रदान की ाती है ाबकि इन्वाइस तैयार करने के कुछ समय बाद भुगतान प्राप्त किया ाता है ।
- बैंकों को यह सुनिश्ि ात करना ाहिए कि कोई दोहरा/अतिरिक्त वित्तपोषण न हो ।
- दिया ानेवाला निर्यात ऋण, अं ित विदेशी मुद्रा से अधिक न हो, ि ासमें से मा ि न, यदि कोई हो, प्राप्त अग्रिम भुगतान/ऋण घटाया ाए ।
- इन्वाइस तैयार की ाती हैं ।
- आवक प्रेषण विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं ।

- कंपनी वहां संविदा के अनुसार इन्वाइस तैयार करेगी ाहां भुगतान विदेश स्थित पार्टी से प्राप्त होता है, सेवा निर्यातक बैंक से लिये गये निर्यात ऋण की ुकौती के लिए निधियों का इस्तेमाल करेगा ।

1.2.5 पुष्पोत्पादन, अंगूर और कृषि-आधारित अन्य उत्पादों के लिए पोतलदानपूर्व ऋण

(i) पुष्पोत्पादन के मामले में, फूलों इत्यादि की खरीद तथा फूल तोड़े ाने के ाद पोतलदान के लिए किए गए सभी ख र्ों को पूरा करने के लिए पोतलदानपूर्व ऋण दिया ाता ै ।

(ii) तथापि फूलों से सं ंधित उत्पादों, अंगूरों और कृषि-आधारित अन्य उत्पादों का निर्यात ा.ाने के लिए फूलों, अंगूरों की खेती, इत्यादि के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों व अन्य सामानों के क्रय सि-त सभी कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात से सं ंधित गतिविधियों के लिए कार्यशील पूँ ाी के प्रयो ान ेतु ैंक रियायती दर पर ऋण उपल ध करा सकते ैं परन्तु शर्त य- -ोगी कि ैंक इस स्थिति में -ों कि वे ऐसी गतिविधियों की प- ाान निर्यात से सं ंधित गतिविधि के रूप में कर सकें तथा इनकी निर्यात सं ंधी संभाव्यताओं के ारे में स्वयं संतुष्ट -ो सकें, और साथ -ी ये गतिविधियाँ ना ार्ड या किसी अन्य ए ोंसी की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तपोषण यो ाना के अंतर्गत शामिल न -ों । य- ऋण पैंकिंग ऋण के मामले में उसकी अवधि, मात्रा, परिसमापन इत्यादि से सं ंधित सामान्य शर्तों पर दिया ा सकता ै ।

(iii) निवेशों के लिए, ैसे विदेशी प्रौद्योगिकी, उपकरणों का आयात, भूमि विकास इत्यादि, या किसी ऐसी मद के लिए ि ासे कार्यकारी पूँ ाी न माना ा सके, निर्यात ऋण न-ीं दिया ाना ाि-ए ।

1.2.6 प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को निर्यात ऋण-कृषि निर्यात क्षेत्र

(i) देश में कृषि निर्यात को ा.ावा देने के लिए भारत सरकार ने कृषि निर्यात ोन ानाए ै । कृषि निर्यातोन्मुख इकाईयां (संसाधन) कृषि निर्यात ोन के भीतर तथा ा-र भी स्थापित की ाती ै तथा ऐसी इकाईयों को ा.ावा देने के लिए उत्पादन एवं प्रसस्करण को एकीकृत करना -ोगा । उत्पादक को किसानों के साथ कृषि का अनु ंध करना -ोगा तथा किसानों के उस समू- को गुणकारी ाी ा, कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रीएंटस और अन्य सामग्री की उपल धता सुनिश्ि ात करवानी -ोगी ि ासे उत्पादक, निर्यात के लिए उत्पाद तैयार करने वाले क ो माल के तौर पर किसानों के उत्पाद खरीदेंगें। उस समू- को अ छी गुणवत्ता के ाी ा, कीटनाशक सूक्ष्म पोषक तत्त्व तथा अन्य सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसलिए सरकार ने सु ााव दिया ै कि किसानों को सं ंधित सामानों की खरीद तथा आपूर्ति के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऐसी प्रसंस्करणकर्ता इकाइयों को पैकिंग ऋण दिया ाये ताकि किसानों को अ छी गुणवत्ता वाले सामान उपल ध -ो सकें ि ासे अ छी गुणवत्ता वाली फसलों को उगाया ाना सुनिश्चित किया ा सके । निर्यातकर्ता ऐसे सामान थोक में खरीद / आयात कर सकेंगे ि ासके ालते मात्रा में वृद्धि -ोने के कारण वस्तुएँ सस्ती पड़ेंगी।

(ii) निर्यातकों द्वारा किसानों को आपूर्ति किये गये सामानों को ैंक निर्यात की ाने वाली वस्तुओं से सं ाधित क ा माल सम ों और किसानों द्वारा ऐसी फसलें उगाये ाने के लिये उन्हें अपेक्षित सामानों की लागत को पूरा करने के लिये प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को ऋण / निर्यात ऋण मं ूर करने पर वि ार करें ताकि कृषि सं ंधी उत्पादों के निर्यात को ा.ावा मिल सके । इससे प्रसंस्करणकर्ता इकाइयाँ अपेक्षित सामान थोक में खरीद सकेंगी और पूर्व-निश्चित व्यवस्था के अनुसार किसानों को उनकी आपूर्ति कर सकेंगी ।

(iii) ैंकों को य- सुनिश्चित करना -ोगा कि निर्यातकों ने खरीदी ाने वाली फसलों के लिए किसानों से और निर्यात किये ाने वाले उत्पादों के लिये विदेशी खरीददारों से अपेक्षित सम ौता कर रखा ै । वित्तीय सुविधा प्रदान करने वाले ैंकों को कृषि निर्यात क्षेत्रों मे स्थित परियो ानाओं का मूल्यांकन करना -ोगा तथा य- सुनिश्चित करना -ोगा कि क्रय/ विक्रय सं ंधी व्यवस्थाएं संभव हैं तथा परियो ानाएँ उपयुक्त अवधि के भीतर कार्यान्वित की ा सकेंगी ।

(iv) निधियों के उद्दिष्ट उपयोग पर अर्थात् निर्यातक /मुख्य प्रसंस्करणकर्ता इकाई द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार, फसलें उगाने के लिये निर्यातकों द्वारा किसानों को सामानों के वितरण पर, ैंकों को न ार रखनी -ोगी।

(v) उन्हें य- भी सुनिश्चित करना -ोगा कि प्र ालित अनुदेशों के अनुसार पोतलदानपूर्व ऋण के समापन के लिये मं ूरी की शर्तों के अनुसार प्रसंस्करणकर्ता /निर्यातकर्ता इकाईयाँ अंतिम उत्पादों का निर्यात कर र-ीं ै।

2. पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण

2.1 *परिभाषा*

पोतलदानोत्तर ऋण' किसी संस्था द्वारा, भारत से वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात करने वाले को, मं ूर किया गया ऋण या अग्रिम या कोई अन्य ऋण ै ो वस्तुओं के पोतलदान/सेवाएं प्रदान करने के ाद ऋण उपल ध कराये ाने की तारीख से आरंभ करके निर्यात सं ंधी आय की वसूली की तारीख तक के लिए -ोता ै तथा इसके अंतर्गत शुल्क वापसी के प्रतिफलस्वरूप या उसकी प्रतिभूति के आधार पर किसी निर्यातक को मं ूर किया गया कोई ऋण या अग्रिम या सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए प्रोत्सा-न के रूप में निर्यातक को किया गया कोई नकदी भुगतान शामिल ै ।

2.2 *पोतलदानोत्तर ऋण के प्रकार :*

पोतलदानोत्तर अग्रिम मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में -ो सकते ैं :

(i) खरीदे गए/ ाट्टाकृत/ ो ाान किये गये निर्यात िल ।

(ii) वसूली के लिए िलों की ामानत पर अग्रिम ।

(iii) सरकार से प्राप्य शुल्क वापसी पर अग्रिम ।

2.3 पोतलदानोत्तर ऋण का समापन :

पोतलदानोत्तर ऋण का समापन निर्यात की गयी वस्तुओं के लिए विदेश से प्राप्त निर्यात िलों की आय से किया ाना ाि-ए । इसके साथ -ी, निर्यातक और ैंकर के ी ा आपसी स-मति के अधीन इसे , विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खाते (ई ई एफ सी खाते) के शेष तथा कोई अन्य वित्तपोषण न किये गये (वसूली) िलों से प्राप्त आय से भी ुकता/समय से पूर्व अदा किया ा सकता ै ।परंतु इस प्रकार से समायोि ात निर्यात िलों को निर्यातों से प्राप्त आय की वसूली के लिए ध्यान में लिया ाना ारी र-ना ाि-ए तथा इन्हें एक्सओएस विवरण में रिपोर्ट किया ाना ारी रे-गा ।

2.4 रुपया पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण

2.4.1 *अवधि*

(i) **माँग िलों** के मामले में अग्रिम की अवधि फेडाई द्वारा निश्ि ात **सामान्य पारगमन अवधि** -ोगी।

(ii) **मीयादी िलों** के मामले में पोतलदान की तारीख से **365 दिन की अधिकतम अवधि के लिए** ऋण दिया ा सकता ै । इस अवधि में सामान्य पारगमन अवधि तथा यदि छूट की अवधि -ो तो व- भी शामिल -ोगी । तथापि ैंकों को ाि-ए कि वे पोतलदान ऋण अधिकतम 365 दिन की अवधि के लिए दिए ाने की आवश्यकता पर भली-भाँति गौर करें और निर्यातकों पर इस ात के लिए द ाव डालें कि वे निर्यात से सं ंधित आय कम से कम अवधि में वसूल कर लें ।

(iii) '**सामान्य पारगमन अवधि**' का आशय व- औसत अवधि ै ो सामान्यतः िल के ो ान /क्रय /डिस्काउंट की तारीख से सं ंधित ैंक के नोस्त्रो खाते में बिल से सं ंधित आय प्राप्त -ोने तक (ैसा फेडाई द्वारा समय-समय पर निश्ि ात किया ाता ै) लगती ै। **इस अवधि को विदेश स्थित गंतव्य पर माल के प ुँ ाने में लगने वाला समय न-ीं सम ाना ाि-ए ।**

(iv) **अतिदेय बिल**

(क) माँग िल के मामले में, व- बिल ै ि ासका भुगतान सामान्य पारगमन अवधि समाप्त -ोने से प-ले न-ीं किया ाता ै, और

(ख) मीयादी िल के मामले में, व- िल ै ि ासका भुगतान नियत तारीख को न-ीं किया ाता ै ।

2.4.2 *या ा दर ँ ा*

पोतनदानोत्तर ऋण का या ा दर ँ ा और उससे सं ंधित अनुदेश पैरा 4 में दिए गए ैं ।

2.4.3 *निर्यात बिलों पर आ-रित न की गयी शेष राशियों पर अग्रिम*

कुछ वस्तुओं के निर्यात में निर्यातकों को संविदा के पोतपर्यत निःशुल्क मूल्य के 90 से 98 प्रतिशत भाग तक के लिए विदेशी क्रेता पर बिल आहरित करने की आवश्यकता पड़ती ै तथा 'आ-रित न किये गये शेष' की ाकाया राशि का भुगतान विदेशी क्रेता वस्तुओं की गुणवत्ता/मात्रा के ारे में संतुष्ट -ोने के ाद करता ै । आ-रित न किए गए शेष का भुगतान आकस्मिक प्रकृति का -ोता

ै । ैंक अपने वाणि यक विवेक और क्रेता के ट्रैक रिकार्ड के आधार पर, आ-रित न की गयी शेष राशियों पर रियायती या ा दर पर अग्रिम मं ूर करने पर वि ाार कर सकते ैं। तथापि ऐसे अग्रिम अधिकतम केवल 90 दिनों की अवधि के लिए रियायती या ा दर के पात्र उस सीमा तक के लिए त ा -ोंगे ।ा सं ंधित अग्रिम की ुकौती विदेश से प्राप्त वास्तविक प्रेषणों द्वारा की ाए और ऐसे प्रेषण माँग बिलों के मामले में सामान्य पारगमन अवधि समाप्त -ो ाने के ाद 180 दिनों के भीतर तथा मीयादी बिलों के मामले में निर्धारित तारीख को प्राप्त -ो गए -ों। पोतलदानोत्तर स्तर पर 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' श्रेणी ेतु निर्दिष्ट या ा लगाया ाना ाि-ए ।

2.4.4 *प्रतिधारण धन पर अग्रिम*

(i) टर्न-की परियो ानाओं /निर्माण संविदाओं के मामले में विदेशी नियोक्ता संविदा के सेवा सं ंधी कार्यों के लिए क्रमिक भुगतान करता र-ता ै तथा क्रमिक भुगतानों का थोड़ा प्रतिशत प्रतिधारण धन के रूप में अपने पास रख लेता ै ि ासका भुगतान व-, संविदा के पूरा -ोने की तारीख के ाद निर्धारित अवधि समाप्त -ो ाने पर निर्धारित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के ाद करता ै ।

(ii) कभी-कभी टर्न-की परियो ानाओं के मामले में भी आपूर्ति भाग के ादले प्रतिधारण धन निर्धारित किया ा सकता ै । उसी तर- उप-संविदाओं के मामले में भी ऐसा किया ा सकता ै । प्रतिधारण धन का भुगतान आकस्मिक प्रकृति का ै क्योंकि य- डिफेक्ट लाइ ालिटी ै ।

(iii) प्रतिधारण धन पर अग्रिम की मं ूरी के सं ंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया ाना ाि-ए :

(क) संविदा के **सेवा भाग** से सं ंधित प्रतिधारण धन पर **कोई अग्रिम मं ूर न-ीं किया** ाना ाि-ए ।

(ख) निर्यातकों से क-ा ाना ाि-ए कि वे प्रतिधारण धन के ा ाय यथासंभव उपयुक्त गारंटी प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें ।

(ग) अन्य ातों के साथ-साथ सं ात प्रतिधारण धन के आकार, निर्यातक की नकदी-निधि सं ंधी स्थिति पर उसके प्रभाव और प्रतिधारण धन के समय से प्राप्त -ोने के मामले में पिछले कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते ुए ैंक कुछ गिने- ुने मामलों में **आपूर्ति भाग** से सं ंधित प्रतिधारण धन के ादले अग्रिम मं ूर करने पर वि ाार कर सकते ैं ।

(घ) प्रतिधारण धन का भुगतान, ा-ाँ संभव -ो, साखपत्र द्वारा या ैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत कर लिया ाना ाि-ए ।

(ङ) संविदा की शर्तों के अनुसार ा-ाँ प्रतिधारण धन का भुगतान पोतलदान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया ाना -ोता ै, व-ाँ ैंकों को अधिकतम 90 दिनों के लिए रियायती दर पर या ा लगाना ाि-ए । पोतलदानोत्तर स्तर पर 90 दिन से बाद की अवधि के लिए 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' श्रेणी के लिए निर्धारित दर पर या ा लिया ाना ाि-ए ।

(ा) संविदा की शर्तों के अनुसार ा-ाँ प्रतिधारण धन का भुगतान पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के ाद किया ाना -ोता ै, और समरूपी अग्रिम की अवधि एक वर्ष से अधिक के लिए ा.ा दी ाती ै, व-ाँ उसे आस्थगित भुगतान की शर्तों पर एक वर्ष से अधिक समय के लिए दिया गया पोतालदानोत्तर ऋण माना ाएगा और उस पर उस श्रेणी के अनुसार या ा लागू होगा ।

(छ) प्रतिधारण धन पर दिए गए अग्रिम केवल उस सीमा तक रियायती या ा दर के पात्र -ोंगे ि ास सीमा तक प्रतिधारण धन से सं ंधित ऐसे अग्रिमों की ुकौती विदेशों से प्राप्त प्रेषणों से की ाती ै तथा संविदा की शर्तों के अनुसार ऐसे भुगतान प्रतिधारण धन के भुगतान के लिए नियत तारीख से 180 दिनों के भीतर प्राप्त -ो ाएँ ।

2.4.5 परेषण आधार पर निर्यात

(i) सामान्य

(क) परेषण आधार पर निर्यात किए ाने पर निर्यात सं ंधी आय के प्रत्यावर्तन के मामले में कई तर- के दुरुपयोग की गुं ाइश र-ती ै ।

(ख) इसलिए परेषण आधार पर निर्यात, पोतलदानोत्तर ऋण पर ैंकों द्वारा लगाए ाने वाले या ा की दरों के मामले में, एकमुश्त नकद बिक्री के आधार पर किए ाने वाले निर्यात के समरूप -ोना ाि-ए । इस प्रकार परेषण आधार पर किए ाने वाले निर्यातों के मामले में निर्यात सं ंधी आय के प्रत्यावर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए मं ूरी दे दिए ाने के ाव ूद ैंक (बिलों की अवधि के आधार पर) केवल आनुमानिक नियत तारीख तक -ी उपयुक्त रियायती या ा दर लगाएँगे तथा य- अवधि भी 180 दिनों से अधिक न-ीं -ो सकती ।

(ii) ा-ुमूल्य और अल्पमूल्य रत्नों का निर्यात

ा-ुमूल्य और अल्पमूल्य रत्नों का निर्यात अधिकांशतः परेषण आधार पर किया ाता ै तथा निर्यातक विदेशों से प्राप्त प्रेषणों से अग्रिम की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर पोतलदानपूर्व ऋण खाते का समापन न-ीं कर पाते ैं । इसलिए परेषण निर्यातों के मामले में निर्यात -ोते -ी एक विशेष (पोतलदानोत्तर) खाते में ाकाया शेषों को अंतरित करके ैंक पैकिंग ऋण सं ंधी अग्रिमों का समायो ान कर लें। परंतु इस विशेष खाते का समायो ान भी विदेश से सं ंधित आय प्राप्त -ोते -ी यथाशीघ्र कर लिया ाना ाि-ए तथा ऐसा समायो ान निर्यात की तारीख से अधिकतम 180 दिनों की अवधि या रिज़र्व ैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त अवधि के भीतर कर लिया ाना ाि-ए । विशेष (पोतलदानोत्तर) खाते में शेषराशियां रिज़र्व ैंक से पुनर्वित्त की पात्र नहीं होंगी ।

(iii) निर्यात से संबंधित आय की वसूली को 12/15 माह तक की अवधि तक ब ़ाना

सन्तोष ानक ट्रैक रिकार्ड वाले अलग-अलग निर्यातकों द्वारा आवेदन किए ाने पर रिज़र्व ैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) उपयुक्त मामलों में, निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में पोतलदान की तारीख से 12 म-ीने तक की लम- ाी अवधि की अनुमति देता ै ।

क) सीआईएस और पूर्व यूरोप के देशों को परेषण निर्यात ।

ख) रुपये में रा य ऋणों की ुकौती के बदले रूस महा संघ को परेषण निर्यात ।

ग) ऐसे निर्यातक ि न्हें विदेश व्यापार नीति के अनुसार 'स्टेटस होल्डर' के रूप में प्रमाणित किया गया है ।

घ) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट और ऐसे यूनिट ो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉ ी पार्क तथा बायो-टेक्नोलॉ ी पार्क यो ानाओं के अधीन स्थापित किये गये हैं ।

साथ ही, विदेश स्थित 'वेयर हाउस-कम-डिस्प्ले सेंटर' के माध्यम से निर्यातों के मामले में निर्यात से संबंधित आय की वसूली पोतलदान की तारीख से 15 महीने निश्ि ात की गयी है ।

बैंक ऐसे निर्यातकों को प्रारंभ से ही अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए पोतलदानोत्तर ऋण मं ूर कर सकते हैं । तदनुसार, अग्रिम की तारीख से 90 दिन तक की ब्या ा दर मीयादी बिलों के लिए 90 दिन तक की अवधि हेतु लागू दर होगी। पोतलदान की तारीख से 90 दिन बाद बैंक ब्या ा दर निश्ि ात करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यदि उक्त अवधि के भीतर बिक्री से संबंधी आय की वसूली नहीं हो पाती है तो उ ातर ब्या ा दर अर्थात् 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर' पर लागू दर, पर 90 दिन से अधिक की संपूर्ण अवधि के लिए लागू होगी ।

भारतीय रिज़र्व बैंकों को निर्यात ऋण के बदले पुनर्वित की सुविधा पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर दोनो स्तरों पर केवल 180 दिनों के लिए ही उपलब्ध कराएगा।

2.4.6. *प्रदर्शनी और ि क्री के लिए वस्तुओं का निर्यात*

ैंक विदेश में प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भे ो गए माल के ादले निर्यातकों को प-ले वित्त उपल ध करा सकते ैं और बिक्री पूरी -ो ाने के ाद ऐसे अग्रिमों पर पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर - दोनों स्तरों पर निर्धारित अवधि तक छूट के रूप में रियायती या ा दर का लाभ दे सकते ैं । ऐसे अग्रिम अलग खातों में दिए ाने ाि-ए।

2.4.7 *आस्थगित भुगतान की शर्तों पर पोतलदानोत्तर ऋण*

भारतीय रिज़र्व ैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा संमय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पूँ ीगत माल और उत्पादक वस्तुओं के निर्यात के मामले में ैंक आस्थगित भुगतान की शर्तों पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पोतलदानोत्तर ऋण मं ूर कर सकते ैं ।

2.5 शुल्क वापसी की पात्रता के ादले पोतलदानोत्तर अग्रिम

2.5.1 ैंक निर्यातकों को शुल्क वापसी सं ंधी उनकी पात्रता के ादले पोतलदान अग्रिम, अंतिम मं ूरी और भुगतान न -ोने तक, सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनंतिम प्रमाण-पत्र के आधार पर, मं ूर कर सकते ैं ।

2.5.2 नौव-न बिल की निर्यात संवर्धन प्रति के आधार पर, ि ासमें सीमाशुल्क विभाग द्वारा ाारी किया गया ई ाी एम नम-ार दिया -ोता ै, निर्यातकों को प्राप्य शुल्क की वापसी के ादले, अग्रिम उपल ध कराया ाा सकता ै। ा-ाँ आवश्यक -ो, वित्तपोषण करने वाला ैंक नामित ैंक के पास अपना लिएन नोट करा सकता ै तथा इस प्रकार की व्यवस्था कर ली ाानी ाा-ए ताकि सीमा शुल्क विभाग ।। भी शुल्क वापसी की राशि खाते में ामा करे त। नामित ैंक सं ंधित राशि वित्तपोषण करने वाले ैंक के खाते में अंतरित कर दे ।

2.5.3 शुल्क वापसी पात्रता के ादले मं ूर किए गए इन अग्रिमों पर रियायती दर पर या। लगाया ाएगा और इसके लिए रिज़र्व ैंक से, अग्रिम की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए पुनर्वित्त भी उपल ध -ोंगे ।

2.6 ईसी ीसी समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर गारंटी यो ाना

2.6.1 निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. द्वारा शुरू की गयी समग्र टर्न ओवर पोतलदानोत्तर गारंटी यो ाना में इस ाात की व्यवस्था ै कि निर्यातकों द्वारा पोतलदानोत्तर ऋण की ुकौती न किए ाने की स्थिति में ैंकों को सुरक्षा मिल सके । निर्यात को ा.ावा देने के लिए ैंक समग्र टर्न ओवर पोतलदानोत्तर पॉलिसी लेने पर वि ाार करें । इस यो ाना की प्रमुख विशेषताओं की ाानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त कर ली ाए ।

2.6.2 ूँकि पोतलदानोत्तर गारंटी का मुख्य उद्देश्य ैंकों को लाभ प्रदान करना ै, अत: ैंकों द्वारा ली गयी समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर गारंटी से सं ंधित प्रीमियम का ख ि ैंक स्वयं उठाएँ और इसका दायित्व निर्यातकों पर न डाला ाए ।

2.6.3 ि ान मामलों में कोई ोखिम निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा कवर किया ाने वाला ै, उनमें भी लम-ो समय से ाकाया निर्यात ि ालों की वसूली के मामले में ैंकों को अपना प्रयास कम न-ीं करना ाा-ए ।

3. मानित निर्यात - रियायती रुपया निर्यात ऋण

3.1 ैंकों को इस ाात की अनुमति ै कि वे द्विपक्षीय या ा-ुपक्षीय ए ोंसियों/फंडों (विश्व ैंक, आई ाी आर डी, आई डी ए सि-त) द्वारा स-ायता प्राप्त/वित्तपोषित परियो ानाओं के सं ंध में आपूर्ति के लिए आदेशों के आधार पर उन पार्टियों को रियायती या ादर पर रुपया पोतलदानपूर्व और आपूर्ति के ााद रुपया निर्यात ऋण उपल ध कराएँ ो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विदेश व्यापार नीति में 'मानित निर्यात' अध्याय के अंतर्गत समय-समय पर ाारी की गयी

अधिसू ानाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा सामान्य निर्यात सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र ैं ।

3.2 पैकिंग ऋणों का समायो ान, इन ए ोंसियों को की गयी माल की आपूर्ति के लिए किए ाने वाले भुगतानों से सं ंधित मुक्त विदेशी मुद्रा से किया ाना ाि-ए । इसकी ुकौती /समय से पूर्व ुकौती विदेशी मुद्रा अ ंकि विदेशी मुद्रा खाता (ई ई एफ सी खाते) के शेष से की ा सकती ै, तथा निर्यातकों द्वारा वास्तविक रूप से की गई आपूर्ति के अनुपात में उनके रुपये संसाधनों से भी की ा सकती ै ।

3.3 ैंक निम्नलिखित ऋण भी दे सकते ैं :

(i) रुपया पोतलदानपूर्व ऋण, और

(ii) समय-समय पर विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत उसी अध्याय के अंतर्गत मानित निर्यात के रूप में निर्दिष्ट अन्य वर्गीकृत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपूर्ति के ाद रुपया ऋण (अधिकतम 30 दिनों के लिए या माल प्राप्त करने वाले द्वारा भुगतान किए ाने की वास्तविक तारीख तक, दोनों में से ो भी प-ले -ो) ।

3.4 आपूर्ति के ाद दिए गए अग्रिमों को 30 दिनों के ाद अतिदेय माना ाएगा । ि ान मामलों में ऐसे अतिदेय ऋणों का समापन आनुमानिक नियत तारीख से 180 दिनों के भीतर (अर्थात् अग्रिम की तारीख से 210 दिन पूर्व) कर दिया ाता ै उनमें ैंकों को ऐसी वर्धित अवधि के लिए, पोतलदानोत्तर स्तर पर ''अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण'' श्रेणी के लिए निर्धारित या ा लगाना ाि-ए । यदि बिलों का भुगतान उपर्युक्त 210 दिनों के भीतर न-ीं -ो पाता ै तो ैंकों को ाि-ए कि वे अग्रिम की तारीख से 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण'-पोतलदानोत्तर श्रेणी के लिए निर्धारित या ा लें ।

3.5 ैंक पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर -दोनों स्तरों पर दिए गए ऐसे रुपया निर्यात ऋणों के लिए रिज़र्व ैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र -ोंगे ।

4. निर्यात ऋण पर या ा

4.1 *सामान्य*

प्रत्येक ैंक अपने अपने देशी उधारकर्ताओं को ि ास आधारभूत मूल उधार दर को आधार मानकर ऋण उपल ध कराते ैं, उसी दर से ोड़ कर, रुपया निर्यात ऋण के लिए अधिकतम या ादर निश्ि ात की गयी ै । अत: ैंक अधिकतम या ादर के अंतर्गत कोई भी या ा लगाने के लिए स्वतंत्र ैं । इसके अलावा किसी भी श्रेणी के निर्यात ऋण के अंतर्गत भिन्न-भिन्न अवधि के लिए अधिकतम या ा दर निर्यात ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए संगत आधारभूत मूल उधार दर पर आधारित -ोनी ाि-ए ।

4.1.1 एकनोस

एकनोस (ईसी एन ओ एस) का आशय ब्या ा दर संर ाना में अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण से है, ि ासके लिए बैंक आधारभूत मूल उधार दर (बीपीएलआर) और स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ब्या ा दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एकनोस के संबंध में बैंकों को दंडस्वरूप ब्या ा नहीं लगाना ाहिए ।

4.2 रुपया निर्यात ऋण पर या ा दर

4.2.1 *या ा दर ँ ाा*

निर्यात ऋण की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 1 मई 2007 से 31 अक्तूबर 2007 तक लागू ब्या ा दरें वार्षिक 2.5 प्रतिशत अंक घटाकर बीपीएलआर से अधिक नहीं होंगी 1

	निर्यात ऋण की श्रेणियां
1.	**पोतलदानपूर्व ऋण(अग्रिम की तारीख से)**
	(क) (i) 180 दिन तक
	(ख) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी में शामिल, सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन पर - 90 दिन तक
2.	**पोतलदानोत्तर ऋण(अग्रिम की तारीख से)**
	(क) पारगमन अवधि के लिए मांग बिलों पर (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)
	(ख) मीयादी बिल पर (निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारगमन अवधि और ाहां लागू हो वहां छूट की अवधि सहित कुल अवधि के लिए)की ामानत पर
	(i) 90 दिन तक
	(ii) गोल्ड कार्ड यो ाना के अंतर्गत निर्यातकों के लिए 365 दिन तक
	(ग) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी में शामिल,सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन (इंसेंटिव) पर - 90 दिन तक
	(घ) आहरित न की गई शेष राशि पर (90 दिन तक)
	(ङ) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के अंदर भुगतान योग्य प्रतिधारण धन पर (केवल आपूर्ति भाग पर) (90 दिन तक)
बीपीएलआर बें ा मार्क प्राइम लैंडिंग रेट **टिप्पणी : 1**. ूंकि ये उ ातम दरें हैं, अतः बैंक उ ातम दर से कम कोई भी दर लगा कर सकते हैं । **2**. ऊपर निर्धारित अवधियों से अधिक अवधियों हेतु निर्यात ऋण की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए ब्या ा दरें मुक्त हैं तथा बैंक बीपीएलआर और स्प्रेड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ब्या ा दर निर्धारित करने के लिए मुक्त हैं ।	

4.2.2 *या ा दर लागू करना*

समय-समय पर संशोधित की ाानेवाली या ा की दर नये अग्रिमों पर और साथ -ी वर्तमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू की ाानी ै।

4.2.3 ***पोतलदानपूर्व ऋण पर या ा***

i) ैंक द्वारा निर्धारित दर पर 180 दिन तक के पोलदानपूर्व ऋण पर ैंकों को सं ंधित श्रेणी के अंतर्गत निर्यात ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए लागू आधारभूत मूल उधार दर के आधार पर गणना की गयी अधिकतम दर के भीतर या ा लगाना ाि-ए । ऋण की अवधि की गणना अग्रिम की तारीख से की ानी ै ।

ii) यदि पोतलदानपूर्व अग्रिमों का समापन निर्यात दस्तावे ों के प्रस्तुतीकरण पर क्रय, डिस्काउंट आदि के ाद ि लों की आय से अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर न-ीं -ो पाता ै तो सं ंधित अग्रिम आरंभ की तारीख से -ी रियायती या ादर के लिए पात्र न-ीं र- पाएगा ।

iii) ि न मामलों में पैंकिंग ऋण की अवधि मं ूरी की मूल अवधि के ाद न-ीं ा.ायी ाती और निर्यात मं ूरी की अवधि समाप्त -ो ाने के ाद लेकिन अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर संपादित -ो पाता ै, उनमें निर्यातक केवल मं ूरी की अवधि तक के लिए रियायती ऋण के लिए पात्र -ोगा । शेष अवधि के लिए 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' श्रेणी के लिए नियत दर पर या ा लिया ाएगा । इसके अलावा ैंकों को अवधि न ा.ाए ाने के कारणों की सू ाना निर्यातकों को देनी -ोगी ।

iv) ि न मामलों में पोतलदानपूर्व अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के भीतर निर्यात न-ीं -ो पाता ै उनमें सं ंधित ऋण 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण' माना ाएगा और ैंक ऐसे ऋणों पर अग्रिम के पहले दिन से -ी 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण - पोतलदापूर्व' श्रेणी के लिए निर्धारित या ा लेंगे ।

v) यदि निर्यात बिल्कुल -ो -ी न-ीं पाता तो ैंकों को सं ंधित पैंकिंग ऋण पर, अपने ैंक के निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति के आधार पर निश ात किया गया देशी उधार दर पर या ा तथा दंडात्मक या ा लेना ाि-ए ।

4.2.4 ***पोतलदानोत्तर ऋण पर या ा***

निर्यात बिलों का शीघ्र भुगतान

(क) माँग बिलों के आधार पर दिए गए अग्रिमों के मामले में यदि बिलों की वसूली सामान्य पारगमन अवधि की समाप्ति से प-ले -ी -ो ाती ै तो अग्रिम की तारीख से आरंभ करके ऐसे ि लों की वसूली की तारीख तक के लिए रियायती दर पर या ा लिया ाएगा। इस प्रयो ान के लिए माँग बिलों की वसूली की तारीख व- मानी ाएगी ि स तारीख को बिल की राशि ैंक के नोस्ट्रो खाते में ामा -ो पाएगी ।

(ख) मीयादी निर्यात ि लों के आधार पर दिए गए अग्रिम/ऋण के मामले में रियायती दर पर या ा केवल आनुमानिक/वास्तविक नियत तारीख तक या उस तारीख तक के लिए लगाया ाएगा ि स तारीख को निर्यात सं ंधी आय ैंक के विदेश स्थित नोस्ट्रो खाते में ामा -ो पाएगी (इन दोनों तारीखों में से ो भी प-ले -ो), भारत में उधारकर्ता/निर्यातक के खाते में सं ंधित राशि ा- ि स तारीख को ामा -ो। ि न मामलों में स-ी नियत तारीख की पुष्टि, विदेश स्थित क्रेता द्वारा स्वीकार किए ाने के कारण या अन्यथा, ऋण लिए ाने के प-ले -ी/तत्काल ाद -ो ाती ै, उनमें रियायती दर पर या ा केवल

वास्तविक नियत तारीख तक के लिए ी लगाया ाएगा, आनुमानिक नियत तारीख ाे कुछ भी निश ित की गयी ो, ाशर्ते वास्तविक नियत तारीख आनुमानिक नियत तारीख से प-ले पड़ती ो।

(ग) यदि माँग बिलों के मामले में संपूर्ण सामान्य पारगमन अवधि के लिए या ऊपर (ख) पर उल्लेख किये अनुसार मीयादी बिलों के मामले में आनुमानिक/वास्तविक नियत तारीख तक के लिए या ा बिलों के ो ाान/क्रय/डिस्काउंट के समय ी ले लिया गया ै तो वसूली की तारीख से आरंभ करके सामान्य पारगमन अवधि की अंतिम तारीख/आनुमानिक नियत तारीख/ वास्तविक नियत तारीख तक के लिए लिया गया अधिक या ा वापस कर दिया ाना ाि-ए ।

4.2.5 *अतिदेय निर्यात िल*

(i) निर्यात बिलों के मामले में रिज़र्व ैंक द्वारा निश ित की गयी अधिकतम दर के अंदर ैंक द्वारा निश ित किए गए या ा की दर, िल की नियत तारीख तक (माँग िल के मामले में सामान्य पारगमन अवधि तक और मीयादी िल के मामले में निर्दिष्ट अवधि तक) के लिए लागू ोगी।

(ii) नियत तारीख से ाद की अवधि अर्थात अतिदेय अवधि के लिए 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात बिल - पोतलदानोत्तर' श्रेणी के लिए लागू दर पर या ा लिया ाना ाि-ए तथा ऐसे मामले में अलग से दंडात्मक या ा न-ीं लगाया ाना ाि-ए ।

4.2.6 *रुपया संसाधनों में से समायोि त पोलदानोत्तर ऋण पर या ा*

ि न पोतलदानोत्तर अग्रिमों का समायो ान विदेशी मुद्रा उपा ित न ो पाने के कारण अनुमोदित तरीके से न-ीं ो पाता ै, तथा उनका समायो ान निर्यात-परेषण के ालते निर्यात ऋण गारंटी निगम के पास प्रस्तुत किए गए दावों के निपटान से प्राप्त निधियों में से किया ाता ै, उन पर या ा लगाए ाने के मामले में, एकरूपता सुनिश ित करने के लिए बैंकों को निम्ननिखित दिशानिर्देशों का पालन करना ाि-ए :

(क) कुछ देशों को किए गए निर्यातों के मामले में, क्रेताओं द्वारा स्थानीय स्तर पर भुगतान कर दिए ाने के ाव ूद, सरकारों/केन्द्रीय ैंक प्राधिकारियों की भुगतान संतुलन सं ंधी समस्याओं के कारण उनके द्वारा विदेशी मुद्रा न भे ो ाने के ालते निर्यातक निर्यात सं ंधी आय वसूल न-ीं कर पाते ैं । ऐसे मामलों में अन्तरण में ोने वाले विलम्ा के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम निर्यातकों को सुरक्षा प्रदान करता ै । ि न मामलों में निर्यात ऋण गारंटी निगम ने दावों को स्वीकार कर लिया ै और अन्तरण में ोने वाले विलम्ा के लिए राशि का भुगतान कर दिया ै, उनमें पोतलदानोत्तर अग्रिम के पोतलदान की तारीख से छः मा- के ाद तक ाकाया र-ने के ाव ूद ैंक 'अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण -पोतलदानोत्तर' श्रेणी के लिए लागू दर पर या ा ले सकते ैं । ऐसा या ा अग्रिम की पूरी राशि पर लगाया ाएगा तथा इसका सं ंध इस ात से बिल्कुल न-ीं ोगा कि निर्यात ऋण गारंटी निगम 90 प्रतिशत /75 प्रतिशत भाग तक ी दावों को स्वीकार करता ै तथा निर्यातकों को शेष 10 प्रतिशत /25 प्रतिशत भाग अपने स्वयं के रुपया संसाधनों से ले आना पड़ता ै।

(ख) ि न मामलों में घरेलू वाणि यक दर पर या अन्यथा न निर्दिष्ट निर्यात ऋण श्रेणी के लिए लागू दर पर अनुमत या ा लिया गया ै उनमें यदि निर्यात सं ंधी आय की वसूली अनुमोदित तरीके से ाद में ो ाती ै तो, प-ले ी लिए ा ुके या ा और उक्त तरीके से लिए ाने योग्य या ा के अंतर की राशि ैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को वापस कर दी ानी ाि-ए परन्तु ऐसा करने से प-ले ऐसी वसूली की वस्तुस्थिति सन्तोष ानक साक्ष्यों के माध्यम से सुनिश्ि ात कर ली ानी ाि-ए । खातों का समायो ान करते समय, अधिक या ा की वापसी की संभावना की ानकारी उधारकर्ता को दे देना ो-तर -ोगा।

4.2.7 *बिल की अवधि में परिवर्तन*

(i) भारतीय रिज़र्व ैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा ारी दिनांक 9 सितं ार 2000 के एपी डीआईआर श्रृंखला के परिपत्र सं. 12 के पैरा सी-14 के अनुसार ैंकों को इस ात की अनुमति दी गई ै कि वे निर्यातकों के अनुरोध पर, मूल क्रेता या वैकल्पिक क्रेता पर आ-रित ि लों के मामले में बिलों की अवधि में परिवर्तन की अनुमति दें परन्तु शर्त य- ोगी कि भुगतान की संशोधित नियत तारीख पोतलदान की तारीख से छः मा- के ाद न पड़ती ो ।

(ii) ऐसे मामलों में तथा ि न मामलों में पोतलदान की ताारीख से छः महीने तक अवधि परिवर्तन की अनुमति दी गई ै, उनमें ैंक संशोधित आनुमानिक नियत तारीख तक रियायती दर पर या ा लगा सकता ै, परन्तु य- रिज़र्व ैंक द्वारा या ा दरों के सं ंध में ारी किए गए निर्देशों के अनुरूप ोना ाि-ए ।

भाग - ख

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

5.1 विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण

5.1.1 सामान्य

निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण उपल ध कराने की दृष्टि से प्राधिकृत व्यापारियों को इस ाात की अनुमति दी गयी ै कि वे निर्यातकों को निर्यातित वस्तुओं के लिए इस्तेमाल -ोने वाली देशी या आयातित सामग्री के लिए लि ाॅर / यूरो लि ाॅर / यूरी ाॅर से सं ाद्ध दरों पर विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें ।

5.1.2 यो ाना

(i) य- यो ाना भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा या ा दरों पर पोतलदानपूर्व ऋण उपल ध कराने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा ै । य- केवल नकदी निर्यातों के मामले में लागू -ोगी ।

(ii) निर्यात वित्त प्राप्त करने के लिए निर्यातकों के पास निम्नलिखित विकल्प उपल ध -ोंगे :

(क) व- पोतलदानपूर्व ऋण रुपये में ले और ाद में पोतलदानोत्तर ऋण को रुपये में ले या निर्यात बिल पुनर्भुनाई यो ाना के अंतर्गत, ि ासका विवरण पैरा 2.1 में दिया गया ै, निर्यात ि ालों की ाट्टे पर भुनाई /पुनर्भुनाई कराए ।

(ख) पोतलदानपूर्व ऋण विदेशी मुद्रा में ले और निर्यात बिल पुनर्भुनाई यो ाना के अंतर्गत निर्यात बिलों की विदेशी मुद्रा में ाट्टे पर भुनाई / पुनर्भुनाई कराए ।

(ग) पोतलदानपूर्व ऋण रुपये में ले और ैंक के विवेकानुसार आ-रणों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण में परिवर्तित करे ।

(iii) मुद्रा का विकल्प

(क) य- सुविधा परिवर्तनीय मुद्राओं (अमेरिकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, ापानी येन, यूरो इत्यादि) में से किसी एकमुद्रा में उपल ध करायी ाए ।

(ख) य- उ ित -ोगा कि ैंक किसी दूसरी परिवर्तनीय मुद्रा में इनवॉयस किए -ुए निर्यात आदेश के मामले में किसी भी एक परिवर्तनीय मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें ताकि निर्यातकों को परि ालनगत ल ालापन उपल ध र-े । उदा-रणार्थ यदि किसी निर्यात आदेश का इनवॉयस यूरो में तैयार किया गया ै तो निर्यातक अमेरिकी डालर में पोतलदानपूर्ण

ऋण ले सकता -ै । किसी अन्य मुद्रा में लेनदेन करने से सं ंधित ोखिम और लागत निर्यातक को व-न करना पड़ेगा ।

(iv) ैंकों को इस ात की अनुमति दी गयी -ै कि वे एशियाई समाशोधन संगठन के सदस्य देशों को किए ानेवाले निर्यातों के लिए विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दें ।

(v) निर्यात बिलों की वसूली के ाद या परिणामी निर्यात बिलों की 'दायित्व र-ित' आधार पर पुनर्भुनाई के ाद -ी निर्यातकों को देय सुविधा का लाभ मिल सकेगा ।

5.1.3 ैंकों के लिए निधि का स्रोत

(i) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण के वित्तपोषण के लिए, ैंकों के पास विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खातों, निवासी विदेशी मुद्रा खातों और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (ैंक) यो ना के अंतर्गत उपल ध विदेशी मुद्रा शेषों का उपयोग किया ा सकता -ै।

(ii) ैंकों को इस ात की भी अनुमति दी गयी -ै कि वे इस प्रयो ान के लिए एस्क्रो खातों और निर्यातक विदेशी मुद्रा खातों में उपल ध विदेशी मुद्रा शेषों का भी उपयोग करें परन्तु ऐसा करते समय उन्-ें य- सुनिश्ि ात करना पड़ेगा कि अनुमत लेनदेनों के लिए खाताधारकों द्वारा माँगी गयी राशि उनकी रूरत के अनुसार उन्-ें दी ा र-ी -ै और व्यापक सुविधा के अंतर्गत खाते में अधिकतम राशि रखने सं ंधी अधिकतम सीमा का उल्लंघन न-ीं -ो र-ा है ।

(iii) विदेशी मुद्रा में ऋण

(क) इसके अलावा ैंक विदेशों से भी **ऋण** की व्यवस्था कर सकते -ैं । ैंक निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण देने के प्रयो ानार्थ, रिज़र्व ैंक की पूर्व अनुमति के िना भी, विदेशी ैंकों से ऋण सं ंधी व्यवस्था के लिए सम ौता कर सकते -ैं ाशर्ते ऐसे ऋण के लिए लिया ानेवाला या ा छ: मा- की अवधि -ेतु, लि ॉर /यूरो लि ॉर /यूरी ॉर से 0.75 प्रतिशत से अधिक न -ो ।

(ख) ैंक विदेशी ैंकों से लिए गए ऋण का केवल विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत निर्यातकों को ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग करे । तथापि िन मामलों में ऋण देने वाले विदेशी ैंक ने आ-रण के लिए न्यूनतम राशि निश्ि ात की -ै (ो ा-ुत ड़ी राशि न-ीं -ोगी), उनमें ैंक को ऐसे छोटे अप्रयुक्त भाग का प्र ंधन विदेशी मुद्रा सं ंधी अपनी समस्थिति और समग्र अंतर सीमा के अंतर्गत करना ाि-ए। उसी प्रकार निर्यातक द्वारा किए ाने वाले किसी पूर्व

भुगतान को भी विदेशी मुद्रा सं ंधी समस्थिति और समग्र अंतर सीमा के अंतर्गत लिया ाना ाि-ए ।

(ग) यदि ैंक स्वयं विदेश से ऋण प्राप्त न कर पाएँ तो उन्हें **भारत में -ी अन्य ैंकों** से ऋण लेना ाि-ए ाशर्ते निर्यातक के लिए ऐसे ऋण पर आनेवाली अधिकतम लागत लि ॉर /यूरो लि ॉर /यूरी ॉर पर 1.00 प्रतिशत से अधिक न-ीं -ोनी ाि-ए । उधार लेने वाले और उधार देने वाले ैंक के ी ा का स्प्रेड सं ंधित ैंक के विवेक पर छोड़ दिया गया ै ।

(iv) यदि निर्यातकों ने आयातित सामानों को प्राप्त करने के लिए 'आपूर्तिकर्ता के ऋण' की व्यवस्था कर ली ै तो ैंक विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण सुविधा निर्यात से सं ंधित देशी वस्तुओं के वित्तपोषण के प्रयो ान े-तु -ी उपल ध कराएँ ।

(v) अधिसू ाना सं. एफईएमए. 3/2000 आर ी दिनांक 3 मई 2000 के पैरा 4.2 (i) के अनुसार ैंकों को विदेशी मुद्रा निधि का आ-रण कर के उपयोग करने की अनुमति दी गयी ै तथा वे विदेशी मुद्रा में लदानपूर्व ऋण (पीसीएफसी) प्रदान करने के लिए घरेलू विदेशी मुद्रा ा ार में खरीदी-ि िकाई के आदान-प्रदान से विदेशी मुद्रा निधि ला सकते ैं, ोकि रिज़र्व ैंक (विदेशी विनिमय विभाग) द्वारा अनुमोदित सकल अंतर सीमा (ए ीएल) के अनुरूप -ोना ाि-ए।

5.1.4 ***स्प्रेड***

(i) विदेशी मुद्रा में दिए ाने वाले पोतलदानपूर्व ऋण पर स्प्रेड लि ॉर /यूरो लि ॉर / यूरी ॉर (6 मा-) ैसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ दर से ुड़ा -ोगा ।

(ii) निर्यातक को दिए ाने वाले ऋण पर लिया ानेवाला या ा विथोल्डिंग टैक्स को छोड़कर, लि ॉर/यूरो लि ॉर/यूरी ॉर पर 1.00 प्रतिशत से अधिक न-ीं -ोना ाि-ए ।

(iii) लि ॉर /यूरो लि ॉर /यूरी ॉर दरें सामान्यत: 1,2,3,6 और 12 म-ीनों की मानक अवधि के लिए उपल ध ैं । यदि विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण छ: मा- से कम अवधि के लिए ाि-ए तो ैंक मानक अवधि के आधार पर दरें कोट कर सकते ैं । तथापि, मानक अवधि से भिन्न अवधि के लिए दरें कोट करते समय ैंकों को य- सुनिश्ि ात करना ाि-ए कि कोट की गयी दर अगली उ ातर मानक अवधि दर से नी ो -ो ।

(iv) ैंक विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण पर, मासिक अंतराल पर या ा की वसूली विदेशी मुद्रा की ि क्री पर या विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा (ईईएफ सी) खाते के शेष में से या यदि विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण (पीसीएफ सी) का समापन -ो गया -ो तो निर्यात ि लों के ट्टागत मूल्य पर कर सकते -ै।

5.1.5 ***ऋण की अवधि***

(i) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण, रुपया ऋण की -ी तर-, आरंभ में अधिकतम 360 दिन की अवधि के लिए दिया ाएगा । ऋण की अवधि में कोई भी वृद्धि उन्-ीं शर्तों पर की ाएगी ो शर्तें रुपया पैकिंग ऋण की अवधि ा.ाए ाने के मामले में लागू -ोती -ैं और इस पर, अवधि ा.ाए ाते समय 180 दिन की मूल अवधि के लिए ो या ा लागू -ोता -ै, उससे 2 प्रतिशत अधिक या ा लिया ाएगा ।

(ii) ऋण की अवधि में और अधिक वृद्धि सं ांधित ैंक द्वारा निश्ि ात की गयी शर्तों पर -ोगी तथा यदि 360 दिनों के भीतर निर्यात न-ीं किया ा सकेगा तो विदेशी मुद्रा में दिए गए पोतलदानपूर्व ऋण का समायो ान सं ांधित मुद्रा की टी. टी. ि क्री दर पर कर लिया ाएगा । ऐसे मामलों में सं ांधित ैंक विदेश में लिए गए ऋण / की गयी ऋण व्यवस्था की ुकौती / देय या ा की ुकौती के लिए विदेशी मुद्रा का प्रेषण कर सकते -ैं तथा इसके लिए उन्-ें रिज़र्व ैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता न-ीं पड़ेगी ।

(iii) विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण की अवधि 180 दिन से कम समय में ा.ाए ाने के लिए ैंकों को मूल राशि के निश्ि ात रोल ओवर आधार पर, ा.ायी गयी अवधि के लिए लागू लि ाेर / यूरो लि ाेर / यूरी ाॅर दर + अनुमत मार्ा नि से ऊपर(लि ाॅर / यूरो लि ाॅर /यूरी ाॅर) 1.00 प्रतिशत की अनुमति दी गयी है ।

5.1.6 विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का संवितरण

(i) यदि विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की पूरी राशि या उसके किसी भाग का उपयोग देशी सामानों के वित्तपोषण के लिए किया ाता -ै तो ैंक सं ांधित लेन देन के लिए उपयुक्त स्पॉट दर लगाएँ ।

(ii) ा-ाँ तक लेनदेन की न्यूनतम मात्रा का सं ांध -ै, य- ैंकों पर निर्भर करेगा कि वे अपने पास संसाधनों की उपल धता का ध्यान रखते -ुए अपनी परि ालनगत सुविधा के अनुसार ऐसी न्यूनतम मात्रा स्वयं निश्चित करें । तथापि न्यूनतम मात्रा

निश्ि ात करते समय ैंकों को ाि-ए कि वे अपने छोटे ग्रा-कों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें ।

(iii) ैंकों को अपनी कार्यविधि और सरल और कारगर ानाने के लिए कदम उठाने ाि-ए ताकि पैकिंग ऋण सीमा प्राधिकृत कर दिए ाने के ाद विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के लिए अलग से मं ूरी की आवश्यकता न पड़े तथा शाखाओं के स्तर पर संवितरण में विलम्ा न -ो ।

5.1.7 *विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण खाते का समापन*

(i) सामान्य

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन पैरा 6.1 में दी गयी निर्यात बिल पुनर्भुनाई यो ाना के अंतर्गत डिस्काउंटिंग / रीडिस्काउंटिंग के लिए निर्यात दस्तावे ाों को प्रस्तुत करने के ाद प्राप्त आय से अथवा विदेशी मुद्रा क र्ा(डीपी बिल) प्रदान कर किया ाना ाि-ए। ैंकर और निर्यातक के आपसी सम ौते से इसकी विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी खाते) के शेष तथा ि ास सीमा तक निर्यात ुआ ै उस सीमा तक निर्यातक के रुपया संसाधनों से भी ुकौती /प-ले -ी भुगतान किया ा सकता ै ।

(ii) पोतपर्यंत नि:शुल्क मूल्य से अधिक पैकिंग ऋण

कुछ मामलों में (ैसे ए ा पी एस ग्राउंडनट, डीफैटेड और डीआयल्ड केक, तं ाकू, मि र्ा, ादाम, का ू इत्यादि कृषि आधारित उत्पाद) ि ानमें पोतपर्यंत नि:शुल्क मूल्य से अधिक राशि के पैकिंग ऋण की आवश्यकता पडती ै, उनमें विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण, उत्पाद के केवल निर्यात योग्य भाग के लिए -ी प्राप्त -ोगा ।

(iii) आदेश / वस्तु का प्रतिस्थापन

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन किसी **अन्य ऐसे आदेश से सं ंधित निर्यात दस्तावे ाों से भी किया ा सकता ै ि ासके अंतर्गत निर्यातक द्वारा निर्यात की गई व-ी वस्तु या कोई अन्य वस्तु शामिल -ो।** संविदा के इस प्रकार प्रतिस्थापन की अनुमति देते समय ैंकों को य- सुनिश्ि ात करना ाि-ए कि ऐसा करना वाणि यक दृष्टि से आवश्यक और अपरि-ार्य ै । ैंकों को उन वास्तविक कारणों के ारे में भी संतुष्ट -ो लेना ाि-ए ि ानके ालते किसी खास वस्तु के पोतलदान के लिए दिया गया विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण सामान्य तरीके से समाप्त न-ीं किया ा सकता। ा-ाँ तक संभव -ो, संविदा के प्रतिस्थापन की अनुमति तभी दी ानी ाि-ए ा निर्यातक का खाता उसी ैंक में -ो या यदि ऋण के लिए स-ायता संघ ानाया गया ै तो ऐसे संघ ने संविदा के प्रतिस्थापन के लिए अनुमोदन दिया -ो।

5.1.8 **निर्यात आदेश निरसन -ोना /पूरा न कर पाना**

(i) ि स निर्यात आदेश के लिए निर्यातक ने ैंक से विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लिया था, उस आदेश के निरसन -ो ाने पर या किसी कारण से यदि निर्यातक निर्यात आदेश को कार्यान्वित न-ीं कर पाता तो य- उ ित -ोगा कि निर्यातक ैंक के माध्यम से देशी ा ार से विदेशी मुद्रा (मूलधन + या ा) का क्रय करके ऋण और उसपर देय या ा ुका दे । ऐसे मामलों में, मूल राशि के ारा ार रुपये पर पोतलदानपूर्व स्तर पर एकनोस श्रेणी के लिए लागू दर पर या ा लगाया ाएगा और साथ -ी विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण पर प-ले -ी वसूले ा ुके या ा का समायो ान करने के ाद, अग्रिम की तारीख से दंडात्मक या ा भी लगाया ाएगा।

(ii) ैंकों के लिए य- भी उ ित -ोगा कि वे सं ंधित राशि विदेश स्थित ैंक को प्रेषित कर दें ाशर्ते विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण उस ैंक से ली गई ऋण राशि से निर्यातक को उपल ध कराया गया था ।

(iii) ैंक ाद में य- सुनिश्ि ात करने के ाद कि ऐसे ऋण को प-ले उ ित कारणों के आधारपर निरसन किया गया था, ऐसे निर्यातकों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण दे सकते ैं ।

5.1.9 ***सभी वस्तुओं के लिए ालू खाता सुविधा***

(i) ैंक विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण यो ना के अंतर्गत निर्यातकों को सभी वस्तुओं के लिए, रुपया ऋण के अंतर्गत उपल ध सुविधा के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन '' ालू खाता'' सुविधा दे सकते ैं :

क. य- सुविधा तभी दी ानी ाि-ए ा निर्यातक ने ैंक की संतुष्टि के अनुसार य- सा ित कर दिया -ो कि '' ालू खाता'' की सुविधा दिया ाना आवश्यक ै ।

ख. ैंक य- सुविधा केवल उन-ीं निर्यातकों को दें ि नका ट्रैक रिकार्ड अ छा -ो।

ग. उन सभी मामलों में, ि नमें पोतलदानपूर्व ' ालू खाता' सुविधा प्रदान की गयी ै, साखपत्र या पुष्ट आदेश उपयुक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिये ाने ाि-ए ।

घ. विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के मामले में 'प-ले ऋण का प-ले समापन' आधार पर कार्रवाई की ानी ाि-ए ।

(ङ) विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन उन निर्यात दस्तावे ों की आय से भी किया ा सकता ै ि नके आधार पर निर्यातक ने कोई विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण न-ीं लिया ै ।

(ii) ैंकों को निर्यातक द्वारा ाद में पुष्ट आदेश या साखपत्र प्रस्तुत करने तथा निधियों के उद्दिष्ट उपयोग पर निगरानी रखनी ाा-ए । य- सुनिशि ात किया ाना ाा-ए कि सं ांधित निधि का उपयोग किसी अन्य घरेलू काम के लिए न-ीं किया ाा र-ा -ै । विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत किए गए आ-रणों का निर्यात के लिए उपयोग न -ो सकने की स्थिति में ऊपर ाताए गए दंडात्मक प्रावधान लागू किए ाने ाा-ए और सं ांधित निर्यातक से ' ाालू खाता' सुविधा वापस ले ली ाानी ाा-ए ।

(iii) ैंकों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना के अंतर्गत निर्यातक द्वारा कोई भी पूर्व भुगतान उपर्युक्त पैराग्राफ 5.1.3 (iii) (ख) में दिये गये अनुसार अपनी स्वयं की विदेशी मुद्रा सं ांधी स्थिति तथा समग्र अंतर सीमा के भीतर करना ाा-ए । ' ाालू खाता' सुविधा उपल ध कराए ाने के परिणामस्वरूप अंतर की स्थिति अपेक्षाकृत लम्ो समय तक ानी र- सकती -ै ि ासके लिए ैंकों का ख ा भी ा. सकता -ै । एक म-ीने के ाद पूर्व भुगतान सं ांधी अंतरों को समायोि ात करने में आने वाली निधीयन सं ांधी लागत,यदि कोई हो, को बैंक निर्यातकों से वसूल कर सकते हैं ।

5.1.10 फॉर्वर्ड संविदाएँ

(i) ऊपर निर्दिष्ट पैरा 5.1.2 (iii) के अनुसार, किसी एक मुद्रा में इनवायस किए गए किसी निर्यात आदेश से सं ांधित विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण को किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में रूपांतरित करके उपल ध कराया ाा सकता -ै । ैंक किसी निर्यातक को इस ाात की अनुमति दे सकते -ैं कि वे, विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लेने से प-ले भी, पुष्ट निर्यात आदेश के आधार पर वायदा संविदाएँ ुक कर सकते -ैं तथा विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लेने के ाद प्र ालित ााज़ार दर पर संविदा निरस्त भी (आयातित निविष्टियों के लिए प्रयुक्त आहरण के अंश के लिए) कर सकते -ैं ।

(ii) ाा ाार में ि ान मुद्राओं में अ छी तर- लेन देन किया ाा र-ा -ै उनमें से ग्रा-क की पसंद की किसी अनुमत मुद्रा में कवर प्राप्त करने की अनुमति ग्रा-क को ैंक दे सकते -ैं परन्तु ऐसे मामलों में य- सुनिशि ात किया ाना ाा-ए कि ग्रा-क अनुमत मुद्रा में विनिमय ोखिम उठाए ।

(iii) यो ाना के अंतर्गत वायदा सुविधाएँ प्रदान करते समय ैंक विदेशी मुद्रा नियंत्रण सं ांधी इस मूलभूत अपेक्षा का अनुपालन सुनिशि ात करें कि ग्रा-क निर्यात वित्त के विभिन्न स्तरों पर सं ांधित लेनदेन के मामले में विनिमय सं ांधी ोखिम उठाए ।

5.1.11 विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत निर्यात पैकिंग ऋण में ि-स्सेदारी

(i) निर्यात आदेश धारक तथा निर्यात की ाानेवाली वस्तु के निर्माता रुपया निर्यात पैकिंग ऋण में ि-स्सेदार -ो सकते ैं ।

(ii) उसी प्रकार, निर्यात आदेश धारक द्वारा अपने ैंक के माध्यम से दावे का त्याग किए ाने के आधार पर ैंक निर्माता को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण दे सकते ैं । निर्माता को मं ूर किए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की ुकौती निर्यात आदेश धारक द्वारा विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण लिए ाने या ि लों की डिस्काउंटिंग कराये ाने के ाद उसके खाते से विदेशी मुद्रा अंतरित करके की ा सकती ै । ैंकों को य- सुनिश्ि ात करना ाि-ए कि लेनदेन में दो-दो ाार वित्तपोषण न -ोने पाए और पैकिंग ऋण की कुल अवधि निर्यातित माल के वास्तविक उत्पादन ाक्र तक सीमित -ो ।

(iii) य- सुविधा उन मामलों में दी ाानी ाि-ए ि नमें निर्यात आदेश धारक और निर्माता - दोनों के लिए ैंकर या ैंकों के स-ायतासंघ का नेता एक -ी -ो या ि न मामलों में निर्यात आदेश धारक और निर्माता के ैंकर अलग-अलग ैं, उनमें सं ंधित ैंक ऐसी व्यवस्था किए ाने के लिए स-मत -ों । निर्यात आदेश धारक तथा निर्माता के ी ा आपसी करार के अनुसार निर्यात लाभों को ांटा ाएगा ।

5.1.12 किसी एक निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई द्वारा किसी दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को आपूर्ति

(i) आपूर्ति करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई और आपूर्ति प्राप्त करने वाली निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की ईकाई - दोनों को विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण प्रदान किया ा सकता ै ।

(ii) आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिया ाने वाला विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण उस क ो माल / उन सामानों की आपूर्ति के प्रयो ान के लिए -ोगा ि नका और अधिक प्रसंस्करण करके अन्त में प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई द्वारा उनका निर्यात किया ा सके । आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई से विदेशी मुद्रा प्राप्त करके किया ाना -ोगा ि सके लिए प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण प्राप्त कर सकती ै । ऐसे मामलों में विदेशी मुद्रा में

भुगतान करके विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के समापन की शर्त निर्यात दस्तावे ों का े ाान करके न-ीं ाल्कि प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के ैंकर से आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के पास विदेशी मुद्रा अंतरित करके पूरी की ाएगी। इस प्रकार ऐसे लेनदेन में सामान्यत: आपूर्तिकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के लिए कोई पोतलदानोत्तर ऋण न-ीं -ोगा ।

(iii) ऐसे सभी मामलों में ैंकों द्वारा य- सुनिश्ि ात किया ाना -ोगा कि एक -ी लेनदेन के लिए दो ाार वित्तपोषण न -ोने पाए । य- क-ने की आवश्यकता न-ीं ै कि प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख इकाई / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन निर्यात ि लों की डिस्काउंटिंग द्वारा किया ाएगा ।

5.1.13 **मानित निर्यात**

ा-ुपक्षीय /द्विपक्षीय ए ोंसियों /फंडों द्वारा वित्तपोषित परियो ानाओं को आपूर्ति के लिए केवल 'मानित निर्यातों' े-तु -ी विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण दिया ा सकता ै।'मानित निर्यातों' के लिए दिए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन, आपूर्ति के ाद अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा ऋण मं ूर करके या परियो ाना के प्राधिकारियों द्वारा भुगतान की तारीख तक, इनमें से ो भी प-ले -ो, कर दिया ाना ाि-ए । विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में शेष तथा ि स सीमा तक आपूर्ति की गयी ै उस सीमा तक निर्यातक के रुपया कोष से भी ुकौती /प-ले -ी भुगतान किया ा सकता ै ।

5.1.14 **पुनर्वित्त**

विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना के अंतर्गत ैंकों द्वारा दिए गए निर्यात ऋणों के लिए वे रिज़र्व ैंक से कोई पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के पात्र न-ीं -ोंगे । इसलिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्राप्त करने के प्रयो ान से निर्यात ऋण सं ंधी ो आँकड़े प्रस्तुत किए ाते ैं, उनसे विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण की मात्रा को अलग दिखाया ाना ाि-ए ।

5.1.15 **अन्य प-लू**

(i) निर्यातकों पर लागू -ोनेवाली सुविधाएँ ैसे निर्यात सं ंधी आय की पात्र प्रतिशत राशि विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खाता में ामा किया ाना इत्यादि निर्यात बिलों की वसूली के ाद -ी उन्हें उपल ध -ोंगी, न कि पोतलदानपूर्व ऋण के पोतलदानोत्तर ऋण में रूपान्तरण के स्तर पर (उन परिस्थितियों को छोड़कर ।। कि बिलों की डिस्काउंटिंग/रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व र-ित' आधार पर -ोती ै)।

(ii) सं ंधित निर्यात वित्त के समायो ान और विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खाते में ामा किए ाने के ाद निर्यात सं ंधी शेष ा ी आय का उपयोग आयात बिलों के समायो ान -ेतु करने की अनुमति न-ीं दी ानी ाि-ए ।

(iii) विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण विदेशी मुद्रा में दिया ाता -ै, और निर्यात ऋण गारंटी निगम की सुरक्षा केवल रुपये में -ी प्राप्त -ोगी ।

(iv) निर्यात ऋण देने के मामले में ैंकों के कार्यनिष्पादन की गणना करने के प्रयो ान -ेतु विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण के समरूप रुपये को -ी ि-सा ा में लिया ाना ाि-ए ।

5.2 डायमंड डालर खाता यो ाना

ाो फर्में /कंपनियाँ अपरिष्कृत या कटाई किए -ुए और पॉलिश किए -ुए -ीरों की खरीद /बिक्री करती -ैं और -ीरों के आयात या निर्यात में कम से कम तीन वर्षों का ािनका ट्रैक रिकार्ड अ छा -ै तथा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (अप्रैल से मा ा तक) में ािनका वार्षिक टर्नओवर पाँ ा करोड़ रुपये या अधिक र-ा -ै, वे विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के अंतर्गत, निर्दिष्ट डायमंड डालर खातों के माध्यम से अपना कारो ाार कर सकती -ैं । डायमंड डालर खाता यो ाना के अंतर्गत ैंकों के लिए आवश्यक -ै कि वे डायमंड डालर खाता धारक को प्रदान किए गए विदेशी मुद्रा पोतलदानपूर्व ऋण का समापन अपरिष्कृत या कटाई किए गए और पॉलिश किए गए -ीरों की दूसरे डायमंड डालर खाता धारक को की गई बिक्री से प्राप्त डालर आय से करें ।

6.1 पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण विदेश में निर्यात ािलों की पुनर्भुनाई यो ाना

6.1..1 सामान्य

बैंक विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खाता, निवासी विदेशी मुद्रा खातों, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) यो ाना में उनके पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा संसाधनों का उपयोग मीयादी बिलों की भुनाई के लिए कर सकते हैं तथा पुनर्भुनाई किये बिना उन्हें अपने संविभाग में रख सकते हैं । ैंकों को इस ाात की भी अनुमति दी गयी -ै कि वे निर्यात ािलों की रीडिस्काउंटिंग पोतलदानोत्तर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय या ा दरों से ाुड़ी दरों पर करें ।

6.1.2 यो ाना

(i) प्रत्येक बिल के लिए विदेश में रीडिस्काउंटिंग की सुविधा लेने की अपेक्षा यादा सुविधा ानक य- -ोगा कि बिल संविभाग के आधार पर (ािसके अंतर्गत सभी पात्र बिल शामिल -ोंगें) सुविधा ली ााय। किसी खास निर्यातक के मामले में, खासकर ाड़े मूल्य के लेनदेन के मामले में, यदि प्रत्येक ािल के आधार पर रीडिस्काउंटिंग सुविधा की व्यवस्था ैंक द्वारा की ाती -ै तो य- आपत्ति ानक न-ीं -ोगा ।

(ii) निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग के लिए ैंक बिना मार्ि नि के और संपाश्र्विकीकृत दस्तावे ाों के अंतर्गत विधिवत् शामिल ' **ैंकर स्वीकरण सुविधा**' की व्यवस्था कर सकते -ैं ।

(iii) प्रत्येक ैंक किसी विदेश स्थित ैंक या रीडिस्काउंटिंग ए ोंसी के साथ या फैक्टरिंग ऐ ोंसी ैसी किसी अन्य संस्था के साथ अपनी खुद की ैंकर स्वीकरण सुविधा (फैक्टरिंग व्यवस्था के मामले में य- ''दायित्व र-ि त'' आधार पर -ेनी ाा-िए) सीमा निर्धारित कर सकता -ै ।

(iv) निर्यातक स्वयं भी किसी विदेश स्थित ैंक या किसी अन्य ए ोंसी से (फैक्टरिंग ए ोंसी स-ि त), अपने निर्यात बिलों की सीधी डिस्काउंटिंग के लिए ऋण की व्यवस्था कर सकते -ैं परन्तु इस मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू -ोंगी :-

(क) निर्यातक द्वारा किसी विदेश स्थित ैंक और /या किसी अन्य ए ोंसी से निर्यात बिलों की सीधी डिस्काउंटिंग उसके द्वारा इस प्रयो ान -ेतु नामित किसी ैंक की शाखा के माध्यम से -ी की ााएगी ।

(ख) ाि स नामित ैंक से पैकिंग ऋण सुविधा ली गयी -ै उसी के माध्यम से -ी निर्यात बिलों की डिस्काउंटिंग की प्रक्रिया शुरु की ााएगी । यदि इसकी प्रक्रिया किसी अन्य ैंक के माध्यम से आरंभ की ााती -ै तो व- ैंक रीडिस्काउंट किए गए ाि ल की आय से स ाासे प-ले सं ांधित ैंक में पैकिंग ऋण के अंतर्गत ाकाया राशि का समायो ान करेगा ।

(v) ैंकर स्वीकरण सुविधा के अंतर्गत विदेश स्थित ैंकों/ डिस्काउंटिंग ए ोंसियों द्वारा ैंकों को मं ाूर की गई ऋण सीमाओं की गणना रिज़र्व ैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा उनके लिए निशि ात की गयी उधार लेने की सीमा के प्रयो ान से न-ीं की ााएगी ।

6.1.3 पात्रता मानदंड

(i) यो ाना के अंतर्गत मुख्यतः ऐसे निर्यात ाि ल शामिल -ोंगे ाि नकी मीयाद पोतलदान की तारीख से 180 दिन -ोती -ै (सामान्य पारगमन अवधि और यदि कोई छूट की अवधि -ो तो उसे शामिल करके) । तथापि, यदि विदेश स्थित संस्था को कोई आपत्ति न -ो तो माँग बिलों को शामिल करने पर कोई रोक न-ीं -ोगी । यदि उधारकर्ता विदेशी मुद्रा विभाग के मौ ाूदा अनुदेशों के अनुसार 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए मीयादी बिल आहरित करने के लिए पात्र है तो ईबीआर के अधीन 180 दिन से अधिक के लिए पोतलदानोत्तर ऋण प्रदान किया ााए ।

(ii) रीडिस्काउंटिंग यो ाना के अंतर्गत सुविधा किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में प्रदान की ाा सकती -ै ।

(iii) ैंकों को इस ाात की अनुमति दी गयी -ै कि वे एशियाई समाशोधन यूनियन के सदस्य देशों को किए ााने वाले निर्यात के लिए निर्यात ाि ल रीडिस्काउंटिंग सुविधा दें ।

(iv) परि ालनगत सुविधा के लिए ैंकर स्वीकरण सुविधा ैंक द्वारा नामित किसी एक शाखा में केन्द्रीकृत की ा सकती ै । लेकिन ैंकों के आंतरिक दिशानिर्देशों / अनुदेशों के अनुसार ैंक की दूसरी शाखाएँ भी य- सुविधा उपल ध करा सकती ै ।

6.1.4 समुद्रतटीय (ऑन शोर) निधियों के स्रोत

(i) माँग बिलों के मामले में (उपर्युक्त पैरा 6.1.3 (i) में निर्दिष्ट ातों के अधीन) वर्तमान पोतलदानोत्तर ऋण सुविधा के माध्यम से या सं ंधित यो ाना के अंतर्गत ैंकों के पास उपल ध विदेशी मुद्रा शेषों में से निर्यातकों को दिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में इन पर कार्रवाई की ानी ाि-ए ।

(ii) निर्यात बिलों की रीडिस्काउंटिंग के लिए स्थानीय ा ार विकसित करने के लिए एक सक्रिय अंतर-ैंक ा ार की स्थापना और इसका विकास अपेक्षित ै । य- संभव ै कि ैंक ि लों की रीडिस्काउंटिंग के बिना ी उन्हें अपने संविभाग में रख लें । तथापि आवश्यकता पड़ने पर ैंक स्थानीय ा ार से भी संपर्क करके अपेक्षित काम कर सकें ि ससे देश को उतनी विदेशी मुद्रा ा सकेगी ि तनी रीडिस्काउंटिंग पर ख र्ा करनीपड़ती ै। इसके अलावा, ूँकि अलग-अलग ैंकों के पास अलग-अलग राशियों के लिए ैंकर स्वीकरण सुविधा ोगी, अतः ि स ैंक के पास शेष उपल ध ोगा व- किसी ऐसे ैंक को रीडिस्काउंटिंग की सुविधा उपल ध करा सकेगा ि सके अपने संसाधन समाप्त ो ुके हों या ो ऐसी सुविधा उपल ध कराने की स्थिति में न ो ।

(iii) यदि ैंक स्वयं विदेश से ऋण प्राप्त कर सकने की स्थिति में न ो या उनकी शाखाएँ विदेश में न हों तो वे भारत में ी अन्य ैंकों से ऋण ले सकते ैं परन्तु शर्त य- ोगी कि निर्यातक पर पड़ने वाली अंतिम लागत, विथोल्डिंग टैक्स छोड़कर, लि ोर/यूरो लि ोर/यूरी ॉर से 1.00 प्रतिशत से अधिक न ो । उधार लेने वाले ैंक और उधार देने वाले ैंक के ी ा का स्प्रेड कितना ो, य- सं ंधित ैंक के विवेक पर निर्भर करेगा ।

(iv) अधिसू ाना सं. एफईएमए 3/2000 आर ी दिनांक 3 मई 2000 के पैरा 4.2(i) के अनुसार ैंकों को निर्यात ि लों की डिस्काउंटिंग /रीडिस्काउंटिंग के लिए उधार ली गयी विदेशी मुद्रा निधियों तथा मुद्रा ा ार में खरीदी-बिक्री के आदान प्रदान से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधि का उपयोग करने की अनुमति दी गई ै ो कि रिज़र्व ैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा अनुमोदित सकल अंतर सीमा (ए ीएल) के अनुरूप ोना ाि-ए ।

6.1.5 'दायित्व स-ित' और 'दायित्व र-ित'आधार पर रीडिस्काउंटिंग सुविधा

य- मानी -ुई ाात -ै कि ैंकर स्वीकरण सुविधा या किसी अन्य सुविधा के अंतर्गत विदेश से 'दायित्व र-ित' सुविधा प्राप्त करना मुश्किल -ोगा । इसलिए ािल की रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व स-ित' की ाा सकती -ै । तथापि यदि कोई प्राधिकृत व्यापारी प्रतिस्पर्धी दरों पर 'दायित्व र-ित'सुविधा की व्यवस्था करने की स्थिति में -ै तो उसे ऐसी सुविधा की व्यवस्था करने की अनुमति -ै ।

6.1.6 लेखाकरण सं ंधी प-लू

(i) निर्यात बिलों के ाट्टाकृत मूल्य के ारा ार रुपया राशि निर्यातक को भुगतान की ााएगी और उसी का इस्तेमाल ाकाया निर्यात पैकिंग ऋण का समापन करने के लिए किया ााएगा ।

(ii) ाूँकि बिलों की डिस्काउंटिंग /विदेशी मुद्रा ऋण(डीपी बिल) दिए ााने का काम वास्तविक विदेशी मुद्रा में किया ााएगा, इसलिए ैंक लेन-देन के लिए उपर्युक्त स्पॉट दर लागू कर सकते -ैं ।

(iii) ाट्टाकृत राशियों /विदेशी मुद्रा ऋण के ारा ार रुपया राशि ैंक की ाि-यों में, वर्तमान पोतलदानोात्तर ऋण खातों से अलग रखी ाानी ाा-ए ।

(iv) अतिदेय बिलों के मामले में ैंक विदेशी मुद्रा ऋण की रीडिस्काउंटिंग की दर से 2 प्रतिशत अधिक राशि, नियत तारीख से क्रिस्टलाइज़ेशन की तारीख तक ले सकते -ैं ।

(v) रुपये में पोतलदानोत्तर ऋण के लिए रिज़र्व ैंक के या ा दर सं ंधी दिशानिर्देशों के अनुसार लगने वाला या ा, क्रिस्टलाइज़ेशन की तारीख से -ी लागू किया ााएगा ।

(vi) निर्यात बिल का भुगतान न -ो पाने की स्थिति में य- उाित -ोगा कि ैंक प-ले ाट्टाकृत ािल के मूल्य के ारा ार राशि डिस्काउंट करने वाले विदेश स्थित ैंक / ए ेंसी के पास प्रेषित कर दे तथा ऐसा करने के लिए उसे रिज़र्व ैंक से पूर्वानुमति भी न-ीं लेनी पड़ेगी ।

6.1.7 ऋण सीमा की पुन: उपल धता और निर्यात सुविधाओं (ैसे विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खाता) की उपल धता

ैसा कि पैरा 6.1.5 में ाताया गया -ै, 'दायित्व र-ित' सुविधा सामान्यतः उपल ध न-ीं -ो पाती -ै । इसलिए 'दायित्व र-ित' सुविधा के मामले में निर्यातक की ऋण - सीमा की पुनः उपल धता और निर्यात सुविधाओं की उपल धता ैसे विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खातों में ऋण, निर्यात सं ंधी आय प्राप्त -ोने के ााद -ो सकेगी, न कि ािलों की डिस्काउंटिंग /रीडिस्काउंटिंग की तारीख को। तथापि यदि ािलों की रीडिस्काउंटिंग "दायित्व र-ित "

आधार पर की ाएगी तो निर्यातक की सीमाओं और निर्यात सुविधाओं की उपल धता रीडिस्काउंटिंग के तुरंत ाद प्रभावी कर दी ानी ाि-ए ।

6.1.8 निर्यात ऋण गारंटी निगम का कवर

'दायित्व सि-त' आधार पर ाट्टाकृत निर्यात िलों के मामले में निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा प्रदान किए गए कवर की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन न-ीं -ोगा क्योंकि निर्यातक का दायित्व त ा तक ाारी र-ता ै ा ा तक सं ंधित बिल का भुगतान न-ीं -ो ाता । अन्य मामलों में, ा-ाँ िलों की रीडिस्काउंटिंग 'दायित्व रि-त' आधार पर की ाती ै, सं ंधित िल की रीडिस्काउंटिंग -ोते -ी निर्यात ऋण गारंटी निगम की ि म्मेदारी समाप्त -ो ाती ै ।

6.1.9 पुनर्वित्त

ैंक इस यो ाना के अंतर्गत डिस्काउंट /रीडिस्काउंट किए गए निर्यात बिलों के लिए रिज़र्व ैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र न-ीं -ोंगे। अतः विदेशी मुद्रा में डिस्काउंट /रीडिस्काउंट किए गए िल निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्राप्त करने के प्रयो ानार्थ सू ित किए गए निर्यात ऋण सं ंधी आँकड़ों से अलग दिखाए ाने ाि-ए ।

6.1.10 निर्यात ऋण सं ंधी कार्यनिष्पादन

(i) केवल विदेश में 'दायित्व सि-त' आधार पर रीडिस्काउंट किये गए तथा ाकाया बिल निर्यात ऋण सं ंधी कार्यनिष्पादन के प्रयो ान से ि-सा ा में लिए ाएंगे । विदेश में 'दायित्व रि-त' आधार पर रीडिस्काउंट किए गए िल निर्यात ऋण कार्यनिष्पादन के लिए गिने न-ीं ाएंगे ।

(ii) देशी ा ार में 'दायित्व सि-त' आधार पर रीडिस्काउंट किये गए बिल डिस्काउंट करने वाले प-ले ैंक के मामले में -ी दर्शाए ा सकेंगे क्यों कि केवल व-ी ैंक निर्यातक से लेन देन करेगा तथा रीडिस्काउंटिंग करने वाला ैंक सं ंधित राशि की गणना निर्यात ऋण के रूप में न-ीं करेगा ।

7. निर्यात ऋण पर या ा

7.1 विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर या ा दर ँ ा

'विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण' तथा 'विदेश में निर्यात ि लों की रीडिस्काउंटिंग' यो ानाओं के अंतर्गत निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्यात ऋण दिए ाने के मामले में ैंकों को अनुमति दी गई ै कि वे प्र ालित लि ोर, यूरो लि ॉर या यूरी ॉर (ा-ाँ क-ी भी लागू -ो) को दृष्टिगत रखते ुए नी े दिए गए विवरण के अनुसार ब्या ा की दरें निश्ि ात करें :

ऋण का प्रकार	**ब्या ा दर** **(प्रतिशत प्रतिवर्ष)**
(i) ***पोतलदानपूर्व ऋण*** (क) 180 दिन तक	लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर के ऊपर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ख) 180 दिन से अधिक और 360 दिनों तक	ऋण दिये ाने के समय 180 दिन की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू दर + 2 प्रतिशत अंक अर्थात् उपर्युक्त (i) (क)+ 2%
(ii) ***पोतलदानोत्तर ऋण*** (क) पारवहन अवधि के लिए मांग बिलों पर (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)	लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर के ऊपर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ख) मीयादी बिलों पर (निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारवहन अवधि और ाहां लागू हो वहां छूट की अवधि सहित कुल अवधि के लिए ऋण) **पोतलदान की तारीख** से 6 माह की अवधि तक	लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर के ऊपर 1प्रतिशत से अधिक नहीं
(ग) नियत तारीख के बाद लेकिन क्रिस्टलाइ ोशन की तारीख तक वसूले गए निर्यात बिल (मांग या मीयादी)	देय तारीख तक लागू दर + 2 प्रतिशत अंक

टिप्पणी : ऊपर निर्दिष्ट अवधियों के आगे निर्यात ऋण की ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के लिए ब्या ा दरें अविनियमित हो गयी हैं और बैंक बीपीएलआर तथा स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, ब्या ा की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

भाग - ग

8. ग्रा-क सेवा तथा कार्यविधि का सरलीकरण

ग्रा-क सेवा

8.1.1 सामान्य

(i) ैंक अपने निर्यातक ग्रा-कों को समय से तथा पर्याप्त ऋण दें तथा कार्यविधि सं ंधी औप ाारिकताओं और निर्यात के अवसरों के ाारे में अवश्यक ग्रा-क सेवाएँ /मार्गदर्शन प्रदान करें।

(ii) मुख्यत: छोटे निर्यातकों और गैर-परंपरागत निर्यात करनेवालों को मार्गदर्शन देने के लिए ैंकों को निर्यात परामर्श कार्यालय खोलने ाा-ये।

8.1.2 निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल

निर्यातकों को ग्रा-क सेवा देने से सं ंधित विभिन्न मामलों को सं ोधित करने के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2005 में निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए एक कार्यदल गठित किया था ि ासमें ुने हुए बैंक और निर्यातकों के संगठन शामिल थे। उक्त कार्यदल ने व्यापक सिफारिशें की ै ि ान्हें स्वीकार किया गया ै और ैंकों को सू ित किया गया ै।(देखें अनु ंध 1)।

8.1.3 निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड यो ाना

भारत सरकार (वाणि य और उद्योग मंत्रालय) ने भारतीय रिज़र्व ैंक के साथ परामर्श करके वर्ष 2003-04 की निर्यात-आयात नीति में निर्दिष्ट किया था कि ऋण पाने की योग्यता रखने के साथ अ छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों को सर्वोत्तम शर्तों पर निर्यात ऋण सुलभ कराने के लिए भारतीय रिज़र्व ैंक द्वारा गोल्ड कार्ड यो ाना ानायी ाएगी । तदनुसार, ुनिंदा ैंकों और निर्यातकों के परामर्श से गोल्ड कार्ड यो ाना ानाई गई। इस यो ाना में निर्यातकों के कार्यनिष्पादन के रिकार्ड के आधार पर उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देने पर ध्यान दिया गया ै । अपने अ छे ट्रैक रिकार्ड के आधार पर गोल्ड कार्ड धारक को आसान और अधिक सक्षम ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। इस यो ाना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित ैं :

(i) प्रत्येक ैंक द्वारा तय किये गये अपने मानदंडों के अनुसार छोटे और मध्यम निर्यातकों सं-त ऋण पाने की योग्यता रखनेवाले अ छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले सभी निर्यातक गोल्ड कार्ड पाने के लिए पात्र -ोंगे ।

(ii) इस यो ाना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करनेवाले छोटे और मध्यम क्षेत्रों सं-त पात्रता रखनेवाले सभी निर्यातकों को गोल्ड कार्ड ाारी किए ा सकते ैं।

(iii) अपने ट्रैक रिकार्ड और ऋण पात्रता के अनुरूप गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को अन्य निर्यातकों की तुलना में ैंकों से या ा दर सि-त ो-तर शर्तों पर ऋण प्राप्त -ोगा।

(iv) ऋण के आवेदनों पर अन्य निर्यातकों की तुलना में आसान मानदंडों पर तथा तीव्र प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की ाएगी ।

(v) गोल्ड कोर्ड धारकों को दिए ाने वाले ि-तलाभों को ैंक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेंगे ।

(vi) ैंकों द्वारा इस यो ाना के अंतर्गत निर्यातकों को दी ाने वाली सेवाओं की प्रभार अनुसू ी तथा फीस अन्य निर्यातकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम -ोगी ।

(vii) इस यो ाना के अंतर्गत मं ूरी और नवीनीकरण एक आसान प्रक्रिया पर आधारित -ोगा ि िसे ैंक निश्ि ात करेंगे । निर्यातक के अनुमानित निर्यात-टर्नओवर और ट्रैक रिकार्ड को ध्यान में रखते ुए ैंक उदार रुख अपनाते ुए आवश्यकता पर आधारित वित्त निर्धारित करेंगे ।

(viii) मं ूरी की शर्तों को पूरा करने के अधीन स्वतः नवीनीकरण के लिए प्रावधान सि-त 3 वर्ष की अवधि के लिए "सैद्धांतिक रूप में" सीमाएँ मं ूर की ाएंगी ।

(ix) अ ानक प्राप्त ुए आदेशों का निष्पादन करने की त्वरित ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा के लिए अनुमानित सीमा का कम से कम 20 प्रतिशत की तत्काल सीमा अतिरिक्त रूप से उपल ध करायी ा सकती ै । मौसमी पण्यों के निर्यातकों के मामले में ारण स्तर और निम्नतर स्तरों को उि ात रूप में विनिर्दिष्ट किया ाएगा ।

(x) अप्रत्याशित निर्यात आदेशों के मामले में, निर्यात आदेश के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते ुए, स्टाक के मानदंडों को शिथिल कर दिया ाएगा ।

(xi) ैंकों द्वारा कार्ड धारकों के नये आवेदनों के लिए 25 दिनों में, सीमाओं का नवीनीकरण 15 दिनों में तथा तदर्थ सीमाओं का निपटान 7 दिनों के भीतर शीघ्रतापूर्वक किया ाएगा ।

(xii) गोल्ड कार्ड धारकों को विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण देने के मामलों में वरीयता दी ाएगी।

(xiii) कार्ड धारक की ऋण पात्रता और ट्रैक रिकार्ड के आधार पर ैंक ईसी ीसी गारंटी यो ाना से तथा संपार्श्विकता से छूट देने पर वि ार कर सकते ैं ।

(xiv) कार्ड के माध्यम से अन्य मूल्यवर्द्धक सेवाएँ ैसे - एटीएम, इंटरनेट ैंकिंग अंतराष्ट्रीय डेि ट /क्रेडिट कार्ड अतिरिक्त रूप से देने पर ारीकर्ता ैंकों द्वारा वि ार किया ा सकता ै ।

(xv) गोल्ड कार्ड यो ाना के अंतर्गत लगायी ानेवाली या ा दर प्रत्येक ैंक में निर्यात ऋण पर लिए ाने वाले या ा की सामान्य दर से अधिक न -ो और भारतीय रिज़र्व ैंक की निर्धारित सीमा के भीतर -ो । इस यो ाना के अभिप्राय के मद्देन ार ैंक, गोल्ड कार्ड धारकों को उनकी रेटिंग और पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर स ासे अ छी संभावित दर देने का प्रयास करेंगें ।

(xvi) गोल्ड कार्ड धारकों के सं ंध में, पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के लिए 90 दिनों तक लगाई ाने वाली रियायती या ा की दरें अधिकतम 365 दिनों की अवधि के लिए भी उसी दर से लगाई ा सकती हैं ।

(xvii) निर्यात बिलों की नियत समय पर वसूली के स ंध में गोल्ड कार्ड धारकों के पिछले रिकार्ड के आधार पर तुरंत भुगतान वाले दायित्व आदि आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा क्रेडिट कार्ड ाारी करने ेतु गोल्ड कार्ड धारकों के सं ंध में वि ाार किया ाएगा।

(xviii) बैंक यह सुनिश्ि ात करें कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते की निधि आदि में से ऋण देने के संबंध में गैर-निर्यात उधारकर्ताओं की अपेक्षा गोल्ड कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी ाए ताकि उनकी पीसीएफसी की अपेक्षाएं पूरी की ा सकें ।

(xix) योग्य मामलों में उनकी विदेशी मुद्रा अनिवासी (ैंक) खाते, निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफ सी) आदि की निधि से विदेशी मुद्रा में मीयादी ऋण देने पर ैंक वि ाार करेंगे । (ैंक विदेशी उधार के 25 प्रतिशत पटल के त-त अपने विदेशी उधार से ऐसे ऋण प्रदान न करें)

(xx) भारतीय निर्यातकों को दिए ाने वाले ऋण पर या ा की दर लंदन अंतर- ैंक प्रस्तावित दर (लि ोर) + 1.00 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी ाहिए।

8.1.4 *विदेशी मुद्रा में आ- रित निर्यात ि लों की आय ामा करने में विलं ा*

ैंकों के नोस्त्रो खातों में विदेशी मुद्रा सं ंधित राशि ामा -ो ाने के ाद भी विदेशी मुद्रा में आ-रित निर्यात ि लों से सं ंधित आय निर्यातकों को दिये ाने में विलम्ा -ोते देखा गया ै। यद्यपि इस अशय के अनुदेश प-ले से -ी ैं कि नोस्ट्रो खातों में राशि ामा -ोने की तारीख से -ी रियायती पोतलदानोत्तर या ादर समाप्त -ो ाएगा, तथापि निर्यातकों द्वारा ली गयी ऋण सीमाओं पर ग्रा-क के खातेमें रुपया समरूप राशि ामा किये ाने की वास्तविक तारीख तक रोक लगाकर रखी ाती ै । इसलिए य- आवश्यक ै कि ि लों की वसूली के ाद निर्यातक को ऋण सीमाएँ तत्काल पुन: उपल ध करा दी ाएँ और ग्रा-क को रुपया ऋण उपल ध करा दिया ाए।

8.1.5 निर्यात बिलों की आय विलं ा से ामा किए ाने के कारण निर्यातकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

(i) -र तर- से पूर्ण ामा सु ाना ओं से सं ंधित राशि ामा किये ाने में ुो विलं ा के लिए, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति कि राशि, निर्यातक द्वारा माँग किये ाने का इंत ाार किये बिना, निर्यातक ग्रा-क को अदा कर दी ानी ाि-ए ।

(ii) निर्यातकों के खाते में निर्यात सं ंधी आय समय से ामा किये ाने तथा फेडाई के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान पर न ार रखने के लिये ैंकों को एक प्रणाली विकसित करनी ाि-ए।

(iii) ैंकों को आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण दलों को अपनी रिपोर्टों में इन प-लुओं पर खास न ार रखनी ाि-ए।

8.2 निर्यात ऋण प्रस्तावों की मं ूरी

8.2.1 मं ूरी के लिये समय सीमा

ऋण सीमा सं ंधित आवेदन पत्र अपेक्षित वित्तीय/परि ालन सं ंधी विवरणों तथा अन्य यौरों के साथ प्राप्त -ोने की तारीख से **45 दिनों** के भीतर नये/ऋण वर्धित मात्रा वाले निर्यात ऋण सं ंधी आवेदन पत्रों पर मं ूरी दे दी ानी ाि-ए। ऋण सीमा के नवीकरण और तदर्थ ऋण सीमा ओं की मं ूरी के मामले में ैंकों को क्रमश: **30 दिन और 15 दिन** से अधिक समय न-ीं लगाना ाि-ए।

8.2.2 तदर्थ सीमा

(i) कई ार ाड़े निर्यात आदेशों के मामलों में निर्यातकों को ऐसे ख ि पूरे करने के लिये तदर्थ ऋण सीमाओं की ारूरत पड़ती ै ि ानका अंदा ा उन्ें प-ले से न-ीं -ोता। ैंकों को ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करनी ाि-ए। इसके अलावा ैंकों को ऐसे निर्यातकों के मामले में ल ीला रुख अपनाना ाि-ए ो कुछ वास्तविक कठिनाइयों के कारण कुछ खास निर्यात आदेशों के लिए उ ातर ऋण सीमा से सं ंधित समरूप अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था न-ीं कर पाते। पोतलदानपूर्व/ पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के रूप में मं ूर की गयी तदर्थ सीमाओं के मामले में **कोई अतिरिक्त या ा न-ीं** लगाया ाएगा।

(ii) ि ान मामलों में निर्यात ऋण सीमा ओं का उपयोग पूरी तर- कर लिया ाता ै, उनमें साखपत्रों के आधारपर आ-रित ि ालों के ो ाान के मामले में ैंकों को ऐसे निर्यातकों के मामले में ल ीला रुख अपनाना ाि-ए ओर निर्यातकों की ऋण सं ंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शाखा प्र ंधकों को विवेकाधीन /उ ातर मं ूरी सं ंधी अधिकार देने पर भी वि ार -ोना ाि-ए । उसी तर- ि ान प्राधिकारियों/ ोर्डों/समितियों ने मूल ऋण मं ूर किया था, उन के द्वारा मं ूरी न दे दिए ाने तक, शाखाओं को भी वर्धित /तदर्थ ऋण के कुछ प्रतिशत भाग के संवितरण का अधिकार दिया ाना ाि-ए ताकि निर्यातक अत्यावश्यक निर्यात आदेशों को समय से पूरा कर सके।

8.2.3 अन्य अपेक्षाएँ

(i) निर्यात ऋण सं ंधी प्रस्तावों की अस्वीकृति से सं ंधित सभी मामलों की ानकारी, अस्वीकृति के कारण स्पष्ट करते ुए, ैंकों के मुख्य कार्यपालकों को दी ानी ाि-ए ।

(ii) ैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण दलों को इस ात पर खास तौर से टिप्पणी देनी ाि-ए कि निर्यात ऋणों की मं ूरी के मामले में रि र्व ैंक द्वारा निश्चित की गयी समय- सीमा का पालन किया गया या न-ीं।

(iii) कार्यशील पूँ ी सीमा को ऋण और नकदी ऋण भाग में विभा ित करने के लिए निर्यात ऋण सीमाओं को अलग रखना ि ए।

(iv) निर्यातकों से सं ंधित मामलों का समय से और तुरन्त निपटान सुनिश्चित करने के लिये ैंकों को अपने विदेशी विभागों/विशेष शाखाओं मे उपयुक्त अधिकारियोंको अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करना ाि-ए ।

(v) निर्यातकों को ऋण सीमाओं की मं ूरी की स्थिति के सं ंध में -र तिमा-ी में एक समीक्षा - नोट ैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना आवश्यक ै। ऐसे नोट में अन्य ातों के साथ- साथ य- भी ाताना ाि-ए कि कितने आवेदनपत्रों पर (ऋण की मात्रा स-ित) निर्धारित समय सीमा के अंदर मं ूरी दी गयी, कितने मामलों मे विलं ा से मं ूरी दी गयी और कितने मामले मं ूरी के लिए ाकाया ैं तथा इसके कारण क्या ैं ।

8.3 विदेशी मुद्रा और रुपये मे निर्यात ऋण दिये ाने से सं ंधित क्रियाविधि का सरलीकरण

8.3.1 सामान्य

निर्यातकों को समय से निर्यात ऋण उपल ध कराया ाना सुनिश्चित करने तथा क्रियाविधि सं ंधी असुविधाओं को दूर करने के लिये निम्नलिखित दिशानिर्देशों को लागू किया ाय । ये दिशानिर्देश **रुपया निर्यात ऋण तथा विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण के मामले में भी लागू -ोंगे ।**

8.3.2 दिशानिर्देश

(i) *क्रियाविधि का सरलीकरण*

ैंक आवेदन पत्र का प्रारूप और सरल ानाएँ तथा निर्यातकों की ऋण सं ंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए उनसे कम आँकडे माँगा करें ताकि निर्यातकों को आवेदन -पत्र भरने या ैंकों द्वारा मांगे गये आँकडे देने के लिए ाि-र से व्यावसायिकों की मदद न लेनी पड़े ।

निर्यातकों की कार्यशील पूँ ी सं ंधी आवश्यकताओंका आकलन करने के लिए प्रा ोक्टेड ैलन्स शीट प्रणाली, टर्न-ओवर प्रणाली या नकदी ा ाट प्रणाली में से निर्यातकों को ो भी स ासे उपयुक्त और अ छी -ो, ैंक व-ी प्रणाली अपनाएँ ।

स-ायता संघ द्वारा वित्त उपल ध कराये ाने के मामलेमें स-ायता संघ द्वारा आकलन का अनुमोदन कर दिये ाने के ाद सदस्य ैंकों को ाि-ए कि वे मं ूरी सं ंधी प्रक्रिया साथ साथ शुरू कर दें ।

(ii) निर्यातकों को 'अनवरत ऋण'

(क) ैंक सामान्यत: एक साल के लिए ऋण कि सुविधा उपल ध कराते ैं तथा -र साल उस की समीक्षा करते ैं। ऋण के नवीकरन में विलं ा -ोने पर मं ूर की

गयी ऋण सीमा अनवरत ाारि रखनी ाा-ए और निर्यातकों की अनिवार्य आवश्यकताओं को तदर्थ आधार पर पूरा किया ाना ाा-ए ।

(ख) ि ान प्रतिष्ठित निर्यातकों का पिछला रिकार्ड संतोष ानक ै उन्हें ैंक लं ो समय के लिए (ैसे तीन वर्ष के लिए) ऋण सुविधा मं ूर करने पर वि ाार करें तथा अधिकतम आकलित सीमा के भीतर ऋण की मात्रा को घटा देने या ा ा देने की आंतरिक व्यवस्था भी करें। ाा निर्यातक कार्यनिष्पादन के लिये प-ले से निर्धारित मानदंडों को पूरा कर ले तो सीमा ा ा दी ाानी ाा-ए। ैंकों को ाा-ए कि वे ऐसे ा ु-ए समय के लिए निर्यातकों को मं ूर की गयी अधिकतम सीमाओं के लिए प्रतिभूति सं ंधी दस्तावे ा प्राप्त कर लें।

(ग) मौसमी वस्तुओं, कृषि पर आधारित उत्पादों इत्यादि के निर्यात के मामले में ैंक निर्यातकों को पीक /नॉन पीक ऋण सुविधा मं ूर करें ।

(घ) ैंक पोतलदानपूर्व ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण को आपस में अदल- ादल करने की अनुमति दें ।

(ङ) ैंक क्षमता के विस्तार, मशीनरी के आधुनिकिकरण और तकनीक के विकास के लिये मियादी ऋण प्रदान करें।

(ा) निर्यात ऋण सीमा का आकलन आवश्यकता पर आधारित -ोना ाा-ये, न कि संपार्श्विक प्रतिभूति की उपल धता से प्रत्यक्षत: सं ाध्द । निर्यातक के कार्यनिष्पादन और उसके पिछले रिकार्ड के आधारपर ऋण की आवश्यकता ि ास सीमा तक उि ात -ो उस सीमा तक का ऋण, केवल संपार्श्विक प्रतिभूति की अनुपल धता के कारण उसे स्वीकार न-ीं किया ाना ाा-ए।

(iii) पोतलदानपूर्व ऋण लेने के लिये निर्यात आदेश या साख-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करना

(क) ि ान निर्यातकों का पिछला रिकार्ड लगातार अ छा -ो उन्हें पोतलदानपूर्व ऋण वितरित करते समय -र ाार निर्यात आदेश या साख- पत्र प्रस्तुत करने के लिये उनपर ोर न-ीं डालना ाा-ए, ाल्कि प्राप्त ु-ए निर्यात आदेशों या साखपत्रों का विवरण आवधिक आधार पर प्रस्तुत करने की एक प्रणाली लागू कर दी ाानी ाा-ए ।

(ख) ैंक अ छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों के मामले में प्राारंभ में -ी निर्यात आदेश / साखपत्र प्रस्तुत किए ाने की शर्त से छूट प्रदान कर सकते ैं और उस के ा ाय उन के पास ाकाया आदेशों /साखपत्रों का आवधिक विवरण प्राप्त करने की प्रणाली लागू कर सकते ैं। तथापि इस का उल्लेख मं ूरी सं ंधी प्रस्ताव में और निर्यातकों को ाारी किए ाने वाले मं ूरी सं ंधी पत्र में कर दिया ाना

ाि-ए तथा इस की ानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम को भी दे दी ानी ाि-ए। इस के अलावा यदि इस तर- की छूट की अनुमति निर्यात ऋण- सीमा की मं ूरी की शर्तों में संशोधन के रूप में कर दिया ाना ाि-ए और इस की ानकारी निर्यात ऋण गारंटी निगम को भी दे दी ानी ाि-ए ।

(iv) निर्यात सं ंधी दस्तावे ों पर कार्रवाई आरंभ करना

ैंकों के लिए ये अपेक्षित ै कि वे, विदेशी मुद्रा नियंत्रण सं ंधी विनियमों के अनुसार, निर्यात सं ंधी दस्तावे ों पर कार्रवाई आरंभ करने के लिए मूल विक्रय संविदा/पक्का आदेश/विदेश स्थित क्रेता प्रति-स्ताक्षरित प्रोफार्मा इनवायस/ विदेश स्थित क्रेता के प्राधिकृत अदिकर्ता से इंडेंट प्राप्त करें। भविष्य में निर्यात सं ंधी दस्तावे ों पर कार्रवाई आरंभ करते समय ऐसे दस्तावे ों के प्रस्तुतीकरण पर ोर न-ीं देना ाि-ए क्यों कि सीमा शुल्क प्राधिकारी ऐसे मामलों में वस्तुओं का मूल्यांकन कर के अपेक्षित अनुमति प्रदान कर ुके -ोते ैं। इनमें अपवाद तभी -ोता ै ा कोई लेनदेन साख-पत्र के आधार पर किया ाता ै तथा ऐसी स्थिति में साख-पत्र शर्तों के अनुसार विक्रय संविदा/अन्य वैकल्पिक दस्तावे ो का प्रस्तुतीकरण आवश्यक -ोता ै ।

(v) निर्यात ऋण की शीघ्रता पूर्वक मं ूरी

(क) निर्यातकों की स-ायता करने के लिए विशेष शाखाओं में तथा निर्यात सं ंधी ाडा कारो ार करने वाली शाखाओं में एक ऐसी व्यवस्था शुरु की ानी ाि-ए ि िस से ऋण सं ंधी आवेदन पत्रों की ते ी से प्रारंभिक ां ा की ा सके और अतिरिक्त सू ाना या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए वि ार- विमर्श किया ा सके।

(ख) ैंकों को अपनी आंतरिक प्रणाली और क्रियाविधि में इस तर- से सुधार लाना ाि-ए ताकि वे निर्यात ऋण सं ंधी प्रस्तावों के निष्पादन के लिए निर्धारित समय सीमा से प-ले भी निर्यात ऋण सं ंधी प्रस्तावों का निष्पादन करने का प्रयास करना ाि-ए। निर्यात ऋण सं ंधी प्रस्तावों के साथ एक ऐसा फ्लो ार्ट भी प्रस्तुत किया ाना ाि-ए ि िसमें ऋण सं ंधी आवेदन-पत्र की प्राप्ती की तारीख से लेकर उसपर प्रत्येक स्तरपर कार्रवाई करने के समय का उल्लेख किया ाए ।

(ग) ैंकों को निर्यात ऋण कि मं ूरी के मामले में अपनी शाखाओं को और अधिकार प्रदान करना ाि-ए ।

(घ) ैंकों को ाि-ए कि वे निर्यात ऋण सं ंधी प्रक्रिया के ि ातने स्तर ैं उनमें से कुछ मध्यावर्ती स्तरों को कम कर दें । य- सुनिश्चित करना भी आवश्यक ै कि निर्यात वित्त के सं ंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तीन से अधिक स्तर न -ों।

(ङ) ैंकों को ाा-ए कि वे निर्यात ऋण सं ंधी प्रस्तावों पर ते ी से कार्रवाई करने के लिए शाखा स्तर के और प्रशासनिक कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त मूल्यांकन की प्रणाली लागू करें ।

(ा) निर्यातकों की कार्यशील पूँ ी सं ंधी सुविधाएँ प्रदान करने / मं ूर करने के लिए ैंकों को ाा-ए कि, ा-ाँ भी संभव -ो, व-ाँ वो विशेष शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में ऋण समिति के पास मं ूरी की पर्याप्त उ ातर शक्ति -ोनी ाा-ए ।

(vi) *प्र ार और प्रशिक्षण*

(क) सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय स्तरपर प्रतियोगी दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण ैंकों की केवल कुछ शाखाओं में प्रदान किया ाता -ै । इस यो ाना को अधिक लोकप्रिय ानाने के लिए तथा विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रतियोगी या ा दरों को द्रृष्टिगत रखते -ुए और किसी भी संभावित विनिमय ोखीम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण का अधिकतम उपयोग करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्सा-ित करने की आवश्यकता -ै। इसलिए ि ास क्षेत्र में निर्यातकों की संख्या अधिक -ो उन क्षेत्रों में स्थित ैंकों को इस म-त्त्वपूर्ण सुविधा का व्यापक प्र ार करना ाा-ए और छोटे निर्यातको स-ित सभी निर्यातकों को य- सुविधा आसानी से उपल ध करानी ाा-ए तथा य- सुनिश्चित करना ाा-ए कि विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने के लिए और अधिक शाखाओं को नामित किया ा र-ा -ै।

(ख) ैंकों को य- भी आवश्यक -ै कि वे मानित निर्यातों के लिए या ादरों पर दी ाने वाली छूट का भी व्यापक प्र ार करें तथा य- सुनिश्चित करें कि इस का काम देखने वाले स्टाफ इस ात से भलीभाँति अवगत -ै तथा इस ात का ध्यान भी रखते हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने के काम से ो अधिकारी ुडे -ों उन्-ें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया ाना ाा-ए । निर्यात ऋण सं ंधी कारो ार करने वाली विशिष्ट शाखाओं से कर्म ारियों का स्थानांतरण किए ाने के मामले में ैंकों को सुनिश्चित करना ाा-ए कि उनकी ाग- तैनात किये ाने वाले नये व्यक्तियों के पास विदेशी मुद्रा और निर्यात ऋण से सं ंधित विषयों की पर्याप्त ानकारी -ै ताकि निर्यात ऋण सं ंधी मामलों पर कार्रवाई करने / उनमें मं ूरी प्रदान करने में विलं ा न -ो तथा निर्यातकों को निर्यात आदेशों के रद्द -ोने से सं ंधित ोखिमों से भी अवगत करा दिया ाए ।

(vii) *ग्रा-कों को ानकारी देना*

(क) ैंकों को एक -ैंड ुक तैयार करनी ाा-ए ि ासमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी दरों पर निर्यात ऋण तथा रुपये में निर्यात ऋण मं ूर करने सं ंधी सरलीकृत

प्रक्रिया की विशेष ातों की ानकारी दी गई -ो ताकि निर्यातक इसका लाभ उठा सकें ।

(ख) ैंकों और निर्यातकों के ी ा वि ारों के आदान प्रदान को सुगम ानाने के लिए ैंकों को ऐसे केन्द्रोंपर निर्यातकों की ैठकें आयो ित करनी ाि-ए ा-ाँ निर्यातकों की संख्या अधिक -ों ।

8.3.3 *दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर न र रखना*

(i) ैंकों को य- सुनिश्चित करना ाि-ए कि निर्यातकों की निर्यात सं ंधी आवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर पूरी तर- और शीघ्र पूरा किया ा र-ा ै। उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, इस मास्टर परिपत्र की मूल भावना को दृष्टिगत रखते ुए सुनिश्चित किया ाना ाि-ए ताकि निर्यात क्षेत्र को ऋण उपल ध कराने और सं ाद्ध ैंकिंग सेवाएं प्रदान किए ाने के मामले में पर्याप्त सुधार परिलक्षित -ों। ैंकों को अपने संगठन के अंतर्गत स्टाफ की तैनाती की प्रणाली की कमियों, यदि कोई -ो तो, वो भी दूर किया ा सके ।

(ii) सं ंधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किस सीमा तक किया ा र-ा ै, इस ात का पता लगाने के लिए ैंकों को एक आंतरिक कार्यदल गठित करना ाि-ए ो समय समय पर, ैसे -र दो म-ीने में शाखाओं का दौरा करे ।

8.4 रा य स्तरीय ैंकर समिति के अंतर्गत अलग उप-समिति का गठन

रा य स्तर पर निर्यात वित्त तथा ैंक से स ंधित अन्य विषयों से सं ंधित मामलों पर रा य स्तरीय ैंकर समिति (एसएल ीसी) की उप-समिति द्वारा कार्रवाई की ाएगी । इस उप-समिति में ि से 'निर्यात संवर्धन के लिए एसएल ीसी की उप-समिति' नाम से ाना ाता ै, स्थानीय स्तर पर रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) के अलावा स्थानीय निर्यातकों के संघ, भारतीय स्टेट ैंक, पर्याप्त निर्यात व्यापार करने वाले दो/तीन अग्रणी ैंक, विदेश व्यापार म-ानिदेशालय, सीमा शुल्क, रा य सरकार (वाणि य तथा उद्योग विभाग तथा वित्त विभाग), भारतीय निर्यात-आयात ैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, समिति के सदस्यों के रूप में शामिल -ोंगे ।

उप-समिति की ैठकें छमा-ी अंतरालों पर -ोंगी अथवा आवश्यकता -ोने पर उससे प-ले भी -ो सकती ै । एसएल ीसी का संयो ाक ैंक -ी सं ंधित रा य में उप-समिति की ैठक का संयो ाक -ोगा और संयो ाक ैंक के कार्यपालक निदेशक ैठकों के अध्यक्ष र-ेंगे ।

9. रिपोर्ट भे ाने सं ंधी अपेक्षाएँ

9.1 *ैंकों के नियति ऋण कार्यनिष्पादन का सू ाक*

9.1.1 प्रत्येक ैंक के लिए अपेक्षित ै कि व- अपने निवल ैंक ऋण के 12 प्रतिशत के ारा ार ाकाया निर्यात ऋण का स्तर प्राप्त करे। तदनुसार **भारतीय रि र्व ैंक का ैंकिंग परि ालन और विकास विभाग** (निदेश प्रभाग) -र तीन म-ीने के अंतराल पर इस मामले में ैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। निर्यात ऋण देने के मामले में ैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं के उस पाक्षिक विवरण में सू ित किए गए औसत निर्यात ऋण ाकायों के आधार पर की ाएगी ो रिपोर्ट भे ाने के लिए नियत शुक्रवार को भारतीय रि ार्व ैंक, मौद्रिक नीति विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुं ई को भे ो ाते ैं।

9.1.2 ैंकों को अपने निवल ैंक ऋण के 12 प्रतिशत के ारा ार निर्यात ऋण के स्तर तक प ुं ाने का प्रयास करना ाि-ए । ाहां बैंकों ने पहले ही 12 प्रतिशत तक निर्यात ऋण प्रदान कर दिया है वहां उसे उ ातर स्तर तक ब .ाने का प्रयास करना ाहिए तथा य- सुनिश्चित करना ाि-ए कि इस अनुपात में कमी न आने पाए। अ छे निर्यात आदेशों के मामले में ैंकों को निर्यात ऋण देने से मना न-ीं करना ाि-ए ।

9.1.3 निर्यात ऋण का निर्धारित स्तर प्राप्त न कर पाने पर या निर्यात ऋण सं ंधी कार्यनिष्पादन में स्पष्ट सुधार न दिखाई देने पर सं ंधित ैंक के सं ंध में कुछ नीतिगत कदम उठाए ा सकते ैं ि ानके अंतर्गत प्रारक्षित निधि सं ंधी अपेक्षाओं मे वृद्धी तथा पुनर्वित्त सुविधाएँ वापस ले लेना शामिल -ोगा । भारतीय रि ार्व ैंक के ैंकिंग परि ालन और विकास विभाग का निदेश प्रभाग का ऋण के सं ंध में ैंकों के कार्यनिष्पादन पर कड़ी न ार रखेगा ।

9.2 **निर्यात ऋण संवितरण सं ंधी तिमा-ी आँकड़े**

ैंकों को निर्यात ऋण संवितरण सं ंधी आँकडे -र तीन मा-ने पर **अनु ंध 2** में दिए गए फॉर्मेट में भे ाने ाि-ए। ैंकों को य- सुनिश्चित करना ाि-ए कि उक्त विवरण भारतीय रि ार्व ैंक, ैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,केंद्रीय कार्यालय,सेंटर -1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुं ई को सं ंधित तिमा-ी के परवर्ती मा- के अंत तक प्राप्त -ो ाए ।

10. -ीरा निर्यात को पोतलदान पूर्व ऋण कांफ्लिक्ट डायमंडस् -किम ारले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) को लागू करना

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव सं. 1173 एवं 1176 के द्वारा **कांफ्लिक्ट डायमंडस् का व्यापार** / खरीद को प्रति ंधित कर दिया गया ै, क्योंकि सियारा लोन, अंगोला एवं कांगों के गृ-युध्द प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोि-यों को धन देने में कांफ्लिक्ट डायमंडस् म-त्वपूर्ण भूमिका निभाता ै। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव सं. 1306 (2000) तथा क्रमश: 1343(2001) के अनुसार सियारा लोन तथा लाइ ेरिया से सभी किस्म के क ो -ीरों के

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आयात को **निषेध** कर दिया गया -ै । अन्य देशों के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र की नयी किम् ारले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम को स्वीकार किया -ै ि ासे खुदाई या अवैध व्यापार से देश में क ो -ीरों का आयात रोकना सुनिश्चि ात किया ाा सके । अत: भारत में -ीरों का आयात करते समय किम् ारले प्रोसेस सर्टिफिकेट (केपीसी) का -ोना ारुरी -ै । उसी प्रकार भारत से निर्यात करते समय केपीसी साथ में -ोना ाा-िए ि ासमें ज्ञात -ो कि प्रक्रिया में कांफ्लिक्ट/क ो -ीरे उपयोग में न-ीं लाए गए -ैं । आयात/निर्यात के मामलों में रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद द्वारा के.पी.सी.(प्रमाणपत्र) की ाँ ा/वैधता की ााएगी । किम् ारले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम लागू करना सुनिश्चि ात करने के लिए, किसी भी प्रकार के -ीरों से ाुड़े व्यापार करने के लिए ैंक से ऋण पाने वाले ग्रा-कों से ैंक, **अनु ांध 3** में दिए गए प्रपत्र में एक घोषणा पत्र प्राप्त करें ।

अनु ंध 1

(देखें पैरा 8.1.2)

निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशें

निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल ने ग्रा-क सेवा में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की ै। ो सिफारिशें स्वीकार की गयी ै और ैंकों को सू ित की गयी ैं, वे नी ो प्रस्तुत ैं:

(क) निर्यात ऋण की वर्तमान क्रियाविधि की समीक्षा

i) छोटे और म ौले निर्यातकों के साथ कार्रवाई करते समय बैंकों के अधिकारियों के दृष्टिकोण के रुख में परिवर्तन की ज़रूरत है । बैंक इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाएं ।

ii) बैंकों को ऐसा नियंत्रण और सू ाना तंत्र स्थापित करना ाहिए ि ाससे यह सुनिश्ि ात हो कि विशेष रूप से छोटे और म ौले निर्यातकों के निर्यात ऋण के लिए आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया ाता है ।

iii) निर्यात ऋण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करते समय बैंकों को एक ही बार में सभी प्रश्न उठाने ाहिए ि ाससे ऋण मं ूर करने में विलंब से ब ा सकें ।

iv) फार्मों को सही ंग से भरने के संबंध में बैंकों से तकनीकी सहायता लेते हुए लघु उद्योग/निर्यात संगठनों द्वारा विशेष रूप से दूर-दरा ा के केंद्रों में स्थित छोटे और म ौले निर्यातकों को उि ात रूप से प्रशिक्षित किया ाना ाहिए ।

v) ाहां तक हो सके, संपार्श्विक ामानत पर ज़ोर न दिया ाए ।

vi) रा य स्तरीय शाखा समितियों (एसएलबीसी) की उप-समितियों के रूप में पुनर्गठित रा य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियों (एसएलईपीसी) को बैंकों और निर्यातकों के बी ा समन्वय ब .ाने में अधिक भूमिका निभानी ाहिए ।

(ख) गोल्ड कार्ड यो ाना की समीक्षा

i) ूंकि बैंकों द्वारा ारी गोल्ड कार्डों की संख्या कम है, अतः बैंकों को सू ित किया गया कि वे सभी पात्र निर्यातकों, खास तौर से लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों को कार्ड ारी करने की प्रक्रिया में ते ी लाएं और यह सुनिश्ि ात करें कि यह प्रक्रिया तीन महीनों की अवधि के भीतर पूरी की ाती है ।

ii) सभी बैंकों द्वारा इस यो ाना के अधीन परिकल्पित रूप में गोल्ड कार्ड ारी करने की सरल क्रियाविधि लागू की ानी ाहिए ।

iii) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की पैकिंग ऋण गारंटी क्षेत्रीय यो ानाओं से सभी पात्र गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को छूट देने के संबंध में बैंक उनके पिछले (ट्रेक) रिकार्ड के आधार पर वि ार करें ।

(ग) गैर-स्टार निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण की समीक्षा

बैंकों को छोटे और म ौले उद्यम निर्यातकों की ऋण समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रीय/आं ालिक कार्यालयों और प्रमुख शाखाओं में नोडल अधिकारी नियोि ात करने ाहिए ।

(घ) अन्य मुद्दों की समीक्षा

i) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्या ा दरें उ ातम दरें हैं । ूंकि बैंकों को कम ब्या ा दरें लगाने की स्वतंत्रता है, अतः बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उ ातम दरों से कम दरों पर निर्यात ऋण प्रदान करने पर वि ाार करें ।

ii) बैंकों को ाहिए कि वे निर्यातकेतर उधारकर्ताओं को विदेशी मुद्रा ऋणों की तुलना में निर्यातकों की विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें ।

(ङ) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर या ा

कार्यदल द्वारा संस्तुत किए गये अनुसार 18 अप्रैल 2006 से ैंको द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रदान किये गये निर्यात ऋणपर या ा की उ ातम दर को लि ोर में 75 आधार अंक मिलाकर आनेवाली विद्यमान उ ातम दर से संशोधित कर लि ोर में 100 आधार अंक मिलाकर आनेवाली दर किया गया। या ा में किया गया उक्त संशोधन न केवल नये अग्रिमों को लागू -ोगा ाल्कि विद्यमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू -ोगा।

अनु ंध 2

निर्यात ऋण डाटा (संवितरण / ाकाया)

वर्ष	म-ीना	ैंक/एफआई कोड

प्राधिकृत व्यापारी ैंक का नाम : ________________________

क. सभी निर्यातकों के लिए दि. . . . . (मा ि/ ून/सितं ार/दिसं ार को समाप्त तिमा-ी के अंतिम शुक्रवार) को कुल संवितरण और ाकाया शेष दर्शाने वाला विवरण :

(राशि करोड़ रुपये में)

तिमा-ी के दौरान संवितरण						तिमा-ी के अंतिम शुक्रवार को ाकाया शेष					
पोतलदानपूर्व ऋण		पोतलदानोत्तर ऋण				पोतलदानपूर्व ऋण		पोतलदानोत्तर ऋण			
रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण	रुपया ऋण	निर्यात िल रिडिस्काउंटिंग	आस्थगित भुगतान	अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण	रुपया ऋण	निर्यात िल रिडिस्काउंटिंग	आस्थगित भुगतान	अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान

ख. उपर्युक्त में से गोल्ड कार्ड धारकों के संवितरण और ाकाया शेष :

संदर्भाधीन तिमाही के अंत तक ाारी किए गए गोल्ड कार्डों की कुल संख्या : ---------------------

(राशि करोड़ रुपये में)

तिमा-ी के दौरान संवितरण (गोल्ड कार्ड धारकों के लिए)						तिमाही के अंतिम शुक्रवार को ाकाया शेष (गोल्ड कार्ड धारकों के लिए)					
पोतलदानपूर्व ऋण		पोतलदानोत्तर ऋण				पोतलदानपूर्व ऋण		पोतलदानोत्तर ऋण			
रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण	रुपया ऋण	निर्यात िल रिडिस्काउंटिंग	आस्थगित भुगतान	अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण	रुपया ऋण	निर्यात िल रिडिस्काउंटिंग	आस्थगित भुगतान	अन्य (सरकार से प्राप्य) भुगतान

क) ''िना अवलं ित'' आधार पर निर्यात िल रिडिस्काउंटिंग यो ाना के अंतर्गत डिस्काउंटेड /रिडिस्काउटेड िलों की राशि ाकाया शेष से ाा-र रखी ाानी ाा-ए ।

ख) यदि अंतिम शुक्रवार किन्-ीं म-ीनों ैसे मा ि, ून आदि का अंतिम दिन न-ीं -ोता तो ैंकों को शेष ा ाी अवधि के संवितरण अगली तिमा-ी में शामिल करने ाा-ए ।

उदा-रण के लिए यदि मा ि तिमा-ी का अंतिम शुक्रवार 25 मा ि को पड़ता -ै त ा 26 मा ि से 31 मा ि तक के संवितरण ून तिमा-ी में शामिल किए ााएँगे ।

अनु ंध 3

औ.नि.ऋ.वि. के परिपत्र सं. 13/04.02.02/2002-03
दिनांक 3 फरवरी, 2003 का संलग्नक

-ीरा ग्रा-कों से प्राप्त किया ाानेवाला व ान-पत्र

-ीरों से सं ंधित किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए ऋण पानेवाले ग्रा-कों से लिया ाने वाला व ान पत्र का फार्म

[पैराग्राफ 10]

"मैं एतद्द्वारा व ान देता ूँ :

(i) मैं ाान ू ाकर कांफ्लिक्ट डायमंडस् का ऐसा कोई व्यापार न-ीं करुँगा, ि ासे संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव सं. 1173, 1176 एवं 1343(2001) के द्वारा प्रति ंधित किया गया ै अथवा लाइ ेरिया सि-त अफ्रीका के देश विधिसम्मत एवं अंतराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त लाइ ेरिया की सरकार केविरुद्ध ालपूर्वक विद्रो- से सं ाालित करने वाले क्षेत्रों से या कांफ्लिक्ट डायमंडस् के साथ व्यापार न-ीं करुंगा ।

(ii) मैं सियारा लोन तथा/अथवा लाइ ेरिया अंगडा तथा कांगों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आनेवाले अपरिष्कृत -ीरों क आयात न-ीं करुँगा भले -ी इन -ीरों का उद्गम लाइ ेरिया में ुआ -ो या न -ो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव सं. 1306(2000) द्वारा सियारा लोन से सभी अपरिष्कृत -ीरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात का निषेध किया गया ै तथा 1343(2001) ाो कि सियारा लोन से सभी प्रकार के अपरिष्कृत -ीरों तथा 1343 (2001) ाो लाइ ेरिया से इनका आयात करने का निषेध करता ै ।

(iii) मैं -ीरों के लेन-देन किम- ारले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम का पालन करुँगा ।

मैं अपनी स-मति भी देता ूँ कि यदि मैं ाान ू ा कर ऐसे -ीरों का व्यापार करने का दोषी पाया ाता ूँ तो किसी भी समय, मेरी समस्त ऋण पात्रताएँ वापस ले ली ाएँगी" ।

परिशिष्ट I

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सू ी

रुपया निर्यात ऋण

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ैपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) ीसी. सं. 80/ 04.02.01/2006-07	17.04.07	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
2.	ैपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) ीसी. सं. 37/ 04.02.01/2006-07	20.10.06	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
3.	ैपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) ीसी. सं. 83/ 04.02.01/2005-06	28.04.2006	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
4.	ैपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. ीसी. 41/ 04.02.01/2005-06	02.11.2005	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
5.	ैपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. 83/ 04.02.01/2004-05	29.04.2005	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
6.	औनिऋवि. सं. 14/01.01.43/ 2003-04	30.6.2004	भारतीय रिज़र्व ैंक के औद्योगिक निर्यात और ऋण विभाग के कार्यों का इसके अन्य विभागों में विलयन
7.	औनिऋवि.सं.12/04.02.02/ 2003-04	18.5.2004	निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड यो ाना
8.	औनिऋवि. सं. 13/04.02. 01/2003-04	18.5.2004	गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों के लिए रुपया निर्यात या ा दरें
9.	औनिऋवि. सं. 10/04.02.01/ 2003-04	24.4.2004	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
10.	औनिऋवि. सं. 5/04.02.01/ 2003-04	31.10.2003	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
11.	औनिऋवि. सं. 18/04.02.01/ 2002-03	30.4.2003	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
12.	औनिऋवि. सं. 16/04.02.02/ 2002-03	01.04.2003	निर्यात ऋण - एस ई ोड इकाइयां
13.	औनिऋवि. सं. 8/04.02.01/ 2002-03	28.09.2002	ाड़े मूल्य के निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैके ा
14.	औनिऋवि. सं. 7/04.02.01/ 2002-03	23.09.2002	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
15.	औनिऋवि. सं. 17/04.02.01/ 2001-02	15.03.2002	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
16.	औनिऋवि. सं. 15/04.02.02/ 2001-02	03.01.2002	प्रसंस्करणकर्ताओं / निर्यातकों को निर्यात ऋण -कृषि निर्यात क्षेत्र
17.	औनिऋवि. सं. 4/04.02.01/ 2001-02	24.09.2001	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
18.	औनिऋवि. सं. 13/04.02.01/ 2000-01	19.04.2001	रुपया निर्यात ऋण या ा दर
19.	औनिऋवि. सं. 9/ 04.02.01/ 2000-01	05.01.2001	निर्यात ऋण पर या ा दर
20.	औनिऋवि. सं. 15/04.02.01/ 1999-2000	25.05.2000	निर्यात ऋण - या ा दर
21.	औनिऋवि.सं. 14/04.02.02/ 1999-2000	17.05.2000	रा य ऋण की ुकौती के ादले रूस म-ासंघ को परेषण निर्यात- रुपये में पोतलदानोत्तर ऋण पर या ा दर
22.	औनिऋवि. सं. 12/04.02.01/ 1999-2000	15.03.2000	निर्यात ऋण पर या ा दर के सं ंध में स्पष्टीकरण

23.	औनिऋवि. सं. 6/04.02.01/ 1999-2000	29.10.1999	निर्यात ऋण - या ा दर
24.	औनिऋवि. सं. 23/04.02.01/ 1998-99	12.04.1999	ि ाल की अवधि में परिवर्तन - रियायती या ा दर का लागू -ोना
25.	औनिऋवि. सं. 19/04.02.01/ 1998-99	03.03.1999	निर्यात ऋण - या ा दर
26.	औनिऋवि. सं. 16/04.02.01/ 1998-99	25.02.1999	शुल्क वापसी दावों के ादले अग्रिम
27.	औनिऋवि. सं. 11/04.02.01/ 1998-99	13.01.1999	निर्यात ऋण - पुष्पोत्पादन, अंगूर और कृषि - आधारित अन्य उत्पाद
28.	औनिऋवि. सं. 6/08.12.01/ 1998-1999	08.08.1998	सू ाना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूँ ाी संस्वीकृत करने के सं ंध में दिशानिर्देश
29.	औनिऋवि. 5/04.02.01/1998-1999	06.08.1998	निर्यात ऋण - या ा दर
30.	औनिऋवि. 41/04.02.01/ 1997-98	29.04.1998	निर्यात ऋण - या ा दर
31.	औनिऋवि. 38/04.02.01/ 1997-98	02.03.1998	दु ाई में वेयर-ाउस कम डिस्प्ले सेंटर के माध्यम से निर्यातों के मामले में पोतलदानोत्तर वित्त
32.	औनिऋवि. सं. 32/04.02.01/ 1997-98	31.12.1997	निर्यात ऋण - अतिदेय निर्यात ि ालों पर या ा दर
33.	औनिऋवि. सं. 31/04.02.01/ 1997-98	31.12.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर या ा दर
34.	औनिऋवि. सं. 29/04.02.01/ 1997-98	29.12.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर या ा दर- स्पष्टीकरण
35.	औनिऋवि. सं. 26/04.02.01/ 1997-98	17.12.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर या ा दर
36.	औनिऋवि. सं. 19/04.02.01/ 1997-98	29.11.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर या ा दर
37.	औनिऋवि. सं. 18/04.02.01/ 1997-98	26.11.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर या ा दर
38.	औनिऋवि. सं. 11/04.02.01/ 1997-98	21.10.1997	निर्यात ऋण - या ा दर
39.	औनिऋवि. सं. 9/04.02.01/ 1997-98	12.09.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर या ा दर
40.	औनिऋवि.सं 1/04.02.01/1997-98	05.07.1997	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना
41.	औनिऋवि. सं. 32/04.02.01/ 1996-97	25.06.1997	निर्यात ऋण - या ा दर
42.	औनिऋवि. सं. 29/04.02.01/ 1996-97	17.04.1997	दु ाई में वेयर-ाउस कम डिस्प्ले सेंटर के माध्यम से निर्यातों के मामले में पोतलदानोत्तर वित्त
43.	औनिऋवि. सं. 27/04.02.01/ 1996-97	15.04.1997	निर्यात ऋण - या ा दर
44.	औनिऋवि. सं. 16/04.02.01/ 1996-97	22.11.1996	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना - ा-ुपक्षीय / द्विपक्षीय ए ोंसियों / फंडों की सू ाी
45.	औनिऋवि. सं. 15/04.02.01/ 1996-97	19.11.1996	निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर गारंटी यो ाना

46.	औनिऋवि. सं. 10/04.02.01/ 1996-97	19.10.1996	अग्रिमों पर या ा दर-पोतलदानोत्तर रुपया ऋण
47.	औनिऋवि. सं. 2/04.02.01/ 1996-97	03.07.1996	मध्यावधि और दीर्घावधि आधारपर (180 दिनों से ाद की अवधि के लिये आस्थगित ऋण)-पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर या ा दर
48.	औनिऋवि. सं. 20/04.02.02/ 1995-96	07.02.1996	अग्रिमों पर या ा दर - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण
49.	औनिऋवि. सं. 30/04.02.02/ 1994-95	14.12.1994	निर्यात पैकिंग ऋण के मामले में छूट
50.	औनिऋवि. सं. 25/04.02.02/ 1994-95	10.11.1994	निर्यात आदेश के उप - आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने वाली देशी निर्यात साखपत्र प्रणाली
51.	औनिऋवि. सं. 17/04.02.02/ 1994-95	11.10.1994	निर्यात पैकिंग ऋण - या ा दरों में छूट
52.	औनिऋवि. सं. 11/04.02.02/ 1994-95	05.09.1994	निर्यात पैकिंग ऋण का समापन
53.	औनिऋवि. सं. 5/04.02.02/ 1994-95	04.08.1994	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना-ा-ुपक्षीय / द्विपक्षीय ए ोंसियों / फंडों की सू ाी
54.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 42/ 04.02.02/1993-94	07.05.1994	सीआइएस और पूर्वी यूरोप के देशों को परेषण निर्यात -पोतलदानोत्तर रुपया ऋण या ा दर
55.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 23/ 04.02. 02/1993-94	10.12.1993	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना - ा-ुपक्षीय / द्विपक्षीय ए ोंसियों / फंडों की सू ाी
56.	औनिऋवि सं. ईएफडी. 2/ 04.02.02/1993-94	02.08.1993	मानित निर्यातों के लिये रियायती ऋण देना
57.	औनिऋवि सं. 16/ईएफडी/ ाीसी/819/पीओएल-	15.12.1992	विदेश स्थित वेयर-ाउसों के माध्यम से भंडारण और विक्री के लिए निर्यात वित्त
58.	औनिऋवि. सं. 56/ईएफडी. ाीसी. 819/ पीओएल-	14.03.1992	पोतलदानोत्तर ऋण दिया ाना - ालू सुविधा खाता
59.	औनिऋवि. सं. 55/ईएफडी/ ाीसी/819/ पीओएल- ईसीआर/1991-92	12.03.1992	180 दिनों से ाद की अवधि के लिये पोतलदान पूर्व ऋण
60.	औनिऋवि.सं.53/ईएफडी/ ाीसी/ 819/पीओएल-ईसीआर/1991-92	29.02.1992	निर्यात ऋण पर या ा दर
61.	औनिऋवि. सं. 47/ईएफडी/ ाीसी / 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	25.01.1992	पैकिंग ऋण - ालू सुविधा खाता
62.	औनिऋवि. सं. 31/ईएफडी ाीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	20.11.1991	पैकिंग ऋण दिया ाना - ालू सुविधा खाता
63.	औनिऋवि. सं. 25/ईएफडी ाीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	09.10.1991	निर्यात ऋण या ा दरें
64.	औनिऋवि. सं.22/ईएफडी / ाीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर / 1991-92	27.09.1991	पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर या ा दर
65.	औनिऋवि. सं. 11/ ईएफडी/ ाीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	05.08.1991	अग्रिमों पर या ा दर- निर्यात ऋण
66.	औनिऋवि. सं. 2/ईएफडी/ ाीसी/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1991-92	09.07.1991	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना 1968, - रुपया संसाधनों में से समायो ित पोतलदानोत्तर ऋण पर या ा

67.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 49/ 819-पीओएल-ईसीआर/ 1991	22.04.1991	अग्रिमों पर या ा दर- निर्यात ऋण
68.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 48 / 819-पीओएल-ईसीआर/1991	02.04.1991	अग्रिमों पर या ा दर- निर्यात ऋण
69.	औनिऋवि. सं. ईएफडी/ ीसी. 47/ 819/पीओएल- ईसीआर./ 1991	01.04.1991	अग्रिमों पर या ा दर- निर्यात ऋण
70.	औनिऋवि.सं.ईएफडी. ीसी.44/ डीडी ी (पी)- 1991	26.03.1991	शुल्क वापसी ऋण यो ाना 1976- ्रैंड रेट के अंतर्गत शुल्क वापसी पात्रता के ादले या ामुक्त अग्रिमों की मं ूरी
71.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 8/ 819-पीओएल-ईसीआर- 1989-90	28.09.1989	निर्यात ऋण (या ा में छूट) यो ाना 1968 - सामान्य पारगमन अवधि- मांग िल
72.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी 253/ 819-पीओएल/ईसीआर/1989	27.05.1989	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना 1968 - रुपया संसाधनों में से समायोि ात पोतलदानोत्तर ऋण पर या ा
73.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 250/ 380/पीओएल-ईसीआर/1989	29.04.1989	शुल्क वापसी ऋण यो ाना, 1976
74.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 248 /819-पीओएल-ईसीआर- 1989	13.03.1989	अग्रिम लाइसेंस / आयात - निर्यात पास ुक यो ाना के अंतर्गत पात्रता के ादले आयात ेतु पैकिंग ऋण
75.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 240/ 819-पीओएल-ईसीआर-1989	03.03.1989	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना 1968- नियामतों के लिए अग्रिम भुगतान रूप में सीधे प्राप्त ोकों, ड्राफ्टों इत्यादि की आय के ादले रियायती ऋण का प्रावधान
76.	औनिऋवि. सं. ईएफडी/ 215/ 822-ड ल्यू ीएम-एनओडी-1988	12.08.1988	विदेश स्थित सिविल इं ानिअरिंग निर्माण संविदाएँ- परामर्शी सेवाएँ
77.	औनिऋवि. सं. 197 /822-ड ल्यू ीएम - एनओडी-1988	30.01.1988	परियो ाना निर्यात - भारतीय ठेकेदारों को ऋण सुविधाओं की मं ूरी
78.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 188/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1987	06.11.1987	निर्यात ऋण (या ा पर छूट)यो ाना 1968-180 दिनों से अधिक समय के लिए पैकिंग ऋण दिया ाना - का ू और कृषि आधारित अन्य उत्पादों के लिए पैकिंग ऋण
79.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 181/ 819-पीओएल- ईसीआर-1987	10.08.1987	निर्यात ऋण गारंटी निगम- लं ो समय से ाकाया निर्यात िलों की वसूली- ैंकों द्वारा वसूली के प्रयास
80.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 163/ 819/पीओएल-ईसीआर-	04.03.1987	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना,1968 - सामान्य पारगमन अवधि के सं ंध में स्पष्टीकरण
81.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 153/ 819-पीओएल-पीआरइ-ईसीआर-87	03.01.1987	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना 1968 - पोतलदानपूर्व अग्रिम- रियायती या ा दर
82.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी.148 /819-पीओएल-ईसीआर-1986	24.11.1986	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना 1968- मांग िलों के आधार पर अग्रिमों पर या ा
83.	ैंपविवि सं. डीआईआर. ीसी. 23/ सी. 96-86	28.02.1986	निर्यातों के लिये पोतलदानपूर्व वित्त
84.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 133/ 015- ईओयू-1985	21.11.1985	शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख ईकाईयों को निर्यात ऋण

85.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 127/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985	08.10.1985	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना 1968- भारत में आई ीआरडी / आईडीए / युनीसेफ से स-ायताप्राप्त परियो ानाओं को की ाने वाली आपूर्ति के ादले आपूर्ति के ाद सुविधाएँ
86.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 109/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985	27.03.1985	लौ- अयस्क की आपूर्ति के लिए पोतलदानपूर्व ऋण
87.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 103/ 819/पीओएल- ईसीआर/ 1985	04.02.1985	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना 1968- पोतलदानपूर्व ऋण की मं ूरी - संविदाओं का प्रतिस्थापन आदि
88.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 102/ 819/पीओएल-ईसीआर/ 1985	28.01.1985	निर्यात ऋण - परेषण आधार पर वस्तुओं का निर्यात
89.	औनिऋवि. सं. इएफडी. ीसी. 86/ सी. 819- पीओएल- ईसीआर/1984	15.03.1984	निर्यात ऋण (या ा पर छूट) यो ाना, 1968 - निर्यात ि लों कि आय का प्रत्यावर्तन - स्पष्टीकरण
90.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी.80 /015.ईओयू. 1984	19.01.1984	शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों को निर्यात ऋण
91.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. ीसी. 75/सी 297(पी)-1983	06.12.1983	अफ्रीका को किए ाने वाले निर्यात के सं ंध में रणनीति - निर्यात वित्त सं ंधी स्थायी समिति के उप-समू- की रिपोर्ट का सारांश
92.	ौंपविवि. सं. ईएफडी. ीसी. 59 और 60 /सी. 297 पी-83	20.06.1983	डी-आयल्ड और डी-फॅटेड केक्स के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम - संशोधित दिशानिर्देश
93.	ौंपविवि सं. ईसीसी. ीसी 143, 144 /सी. 297 पी-80	09.12.1980	पोतलदानपूर्व ऋण- या ा की अधिकतम दर - दिशानिर्देश
94.	ौंपविवि सं. ईसीसी. ीसी. 172 / सी. 297 पी-79	04.12.1979	निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण गारंटी यो ाना
95.	ौंपविवि सं. एसीसी. ीसी. 104/ सी. 297 पी(सी)-79	23.07.1979	शुल्क वापसी ऋण यो ाना 1976- निर्धारित समय के भीतर ऋण खातों में समायो ान
96.	ौंपविवि सं. ईसीसी. ीसी. 104/ सी. 297 पी-	14.07.1979	निर्यात ऋण -निर्यात ऋण गारंटी निगम - समग्र टर्नओवर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण गारंटी यो ाना
97.	ौंपविवि सं. ईसीसी. ीसी. 81/ सी. 297 पी-79	05.06.1979	निर्यात ऋण - (या ा पर छूट) यो ाना 1968 - निर्यात ि लों को कवर करने के लिए आय का प्रत्यवर्तन
98.	ौंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी. 73/ सी. 297 (ओ) (12)-79	02.06.1979	निर्यात ऋण - ीरों का निर्यात
99.	ौंपविवि सं. एसीसी. ीसी. 118/C. 297 पी-(सी)79	07.04.1979	शुल्क वापसी ऋण यो ाना 1976- संशोधित लेखाकरण प्रक्रीया
100.	ौंपविवि. सं. एसीसी. ीसी. 55/ सी. 297 पी (सी)-79	07.04.1979	शुल्क वापसी ऋण यो ाना 1976 -संशोधन
101.	ौंपविवि. सं. एसीसी. ीसी. 38/ सी. 297 पी (सी)-79	06.03.1979	शुल्क वापसी ऋण यो ाना 1976-छूट
102.	ौंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी 14, 15/सी. 297 पी-79	22.01.1979	निर्यात ऋण -पोतलदानपूर्व ऋण- या ा की अधिकतम दर - निदेश
103.	ौंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी. 9/ सी. 297 पी-79	15.01.1979	मुक्त व्यापार/ निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में इकाईयों को अग्रिम
104.	ौंपविवि. सं. एसीसी. ीसी. 70/सी.	18.05.1978	शुल्क वापसी ऋण यो ाना,1976- भारि ैंक द्वारा दिये

	297 पी (सी)-79		गये अग्रिमों की ुकौती के प्रति समायो ान द्वारा उधारकर्ता ैंक के ऋण खाते में ामा
105.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी. 57/ सी. 297 एल (आइडी) ीईएन-78	04.05.1978	निर्यात ऋण- ोली ांड/गारंटियां ारी करने के लिए कार्य दल से स्वीकृति लेने ेतु ैंकों को सू ित किया - विदेशी निर्माण संविदाएं
106.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.45/ सी.297 (ओ)(12)-78	29.03.1978	निर्यात ऋण - ेरों की निर्यात के लिए ैंक वित्त के सं ंध में
107.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी. 39 और 40/सी.297 पी.-78	08.03.1978	निर्यात ऋण - या ा पर उ ातम दर - निदेश
108.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.82/ सी. 297एल (4.1)-77	04.07.1977	निर्यात ऋण - विदेशी निर्माण संविदाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश
109.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.55/ सी. 297 पी -77	28.05.1977	आस्थगित अदायगी शर्तों पर दिया गया पोतलदानोत्तर ऋण - पूं ी तथा उत्पादक वस्तुओं का निर्यात - उ ा मूल्य की अभियांत्रिकी तथा उपकरण वस्तुएँ
110.	ैंपविवि. एसीसी. ीसी. 52/सी. 297 पी (सी)-77	25.05.1977	शुल्क वापसी ऋण यो ाना, 1976 - ैंकों को वास्तविक ंग से सीमाएँ निर्धारित करने सं ंधी सू ाना
111.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.31/सी 297 एम.-77	29.03.1977	निर्यात ऋण (या ा स सिडी) यो ाना , 1968 - ए ापीएस ग्राउंडनट के तथा डी-आयल्ड और डी-फॅटेड केक्स के निर्यातकों को पैकिंग ऋण अग्रिम - या ा स सिडी दावों तथा रियायती या ा दरों के सं ंध में स्पष्टीकरण
112.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.8/सी.297 एम.-77	13.01.1977	निर्यात ऋण (या ा स सिडी) यो ाना , 1968 - अना-रित शेषराशियों तथा प्रतिधारण राशि की ामानत पर अग्रिम
113.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.154/297 पी - 76	27.12.1976	निर्यात ऋण - केवल 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिये गये पोतलदानोत्तर ऋण पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की या ा दर से सं ंधित स्पष्टीकरण
114.	ैंपविवि. एसीसी. ीसी.66/सी. 297पी (सी)-76	23.06.1976	शुल्क वापसी ऋण यो ाना, 1976 - ैंकों द्वारा भारि ैंक से एक ारगी आ-रण की न्यूनतम राशि को 1 लाख रुपए से घटाकर 20000 रु. करना
115.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.38/सी. 297 पी-76	22.03.1976	निर्यात ऋण (या ा स सिडी) यो ाना , 1968- पैकिंग ऋण अग्रिम
116.	ैंपविवि.एसीसी. ीसी. 25/सी 297 पी (सी)-76	21.02.1976	शुल्क वापसी ऋण यो ाना, 1976 - यो ाना के अंतर्गत अग्रिम मं ूर करते समय लदान पत्र आदि के सत्यापन के सं ंध में ैंकों को सू ाना
117.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी. 20/सी 297 पी -76	09.02.1976	पोतलदानपूर्व ऋण- विदेशी खरीदारों से प्राप्त के ाल सू ानाओं के आधार पर ूट मिलों को पैकिंग ऋण सुविधाएँ प्रदान करने ेतु ैंकों को सू ाना
118.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.19/ सी 297 पी -76	09.02.1976	पोतलदानपूर्व ऋण- निर्यात गृ-ों/ ए ोन्सियों के माध्यम से संविदाओं के प्रतिस्थापन और निर्यात के वित्तपोषण के सं ंध में परि ालनगत ल ीलेपन की छूट
119.	ैंपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.16 /सी. 297 एल (एलएफ)-76	06.02.1976	निर्यात ऋण - कालीन के निर्यातक - ऐसे निर्यात ऋण प्रस्तावों पर तत्पर कार्रवाई करने ेतु अपने शाखा प्र ंधकों / क्षेत्रीय प्र ंधकों को पर्याप्त अधिकार देने ेतु ैंको को सू ाना

120.	ैपविवि. सं. ईसीसी. ीसी. 12/सी. 297 (एल-11)-76	27.01.1976	निर्यात ऋण- परामर्शी सेवाओं का निर्यात - आवश्यक स-ायता देने ेतु ैंकों को सू ाना
121.	ैपविवि. सं. ईसीसी. ीसी.2/सी 297 एल (16)-76	07.01.1976	शुल्क वापसी ऋण यो ाना, 1976
122.	ैपविवि. सं. ईसीसी. ीसी. 91 /सी. 297 पी-75	23.10.1975	निर्यात ऋण -प्रदर्शनी और विक्रय के लिए माल का निर्यात -विदेश में प्रदर्शनी और विक्रय के लिए उत्पादन ेतु ैंकों द्वारा रियायती या ा दर लिया ाना।
123.	ैपविवि. ईसीसी. ीसी. 57 /सी. 297 पी-75	14.08.1975	निर्यात ऋण- परामर्शी सेवाओं का निर्यात - तकनीकी तथा अन्य स्टाफ के व्यय की भरपाई ेतु परामर्शी अनु ंधों के ादले ैंकों द्वारा ऋण सीमा का निर्धारण
124.	ैपविवि. सं. ईसीसी. ीसी. 33 /33 /सी. 297 पी-75	19.04.1975	आस्थगित भुगतान शर्तों पर पोतलदान पश ा ऋण - एक वर्ष से अधिक समय के लिये 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर से या ा लगाने के लिए ैंकों को सू ित किया ाना ।
125.	ैपविवि ीएम. ीसी. 7 /सी. 297 पी-74	12.01.1974	निर्यात ऋण- मात्रा और अवधि के सं ंध में निर्यात ऋण के उपयोग पर निगरानी रखने ेतु ैंकों को सू ित किया ाना ।
126.	ैपविवि. ीएम. ीसी. 81/सी. 297 एम -73	18.07.1973	पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना तथा निर्यात ऋण (या ा सि सडी) यो ाना, 1968 - भारत में आई ीआरडी/ आईडीए/युनीसेफ से स-ायताप्राप्त परियो ानाओं कार्यक्रमों को आपूर्ति के ादले पैकिंग ऋण सुविधाएँ, पुनर्वित्त और या ा सि सडी के लिए पात्र ै ।
127.	ैपविवि ीएम. ीसी. 58/सी. 297 पी-73	31.05.1973	पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना - ा-ुमूल्य और कम ा-ुमूल्य रत्नों और सिन्थेटिक पत्थरों का निर्यात- एक विशेष (पोतलदानपश ा) खाते में पैकिंग ऋण अग्रिमों के ाकाया शेष को स्थानांतरित का समायोि ित करने सं ंधी स्पष्टीकरण ।
128.	ैपविवि. ीएम. ीसी. 120/ सी. 297 पी-72	06.12.1972	निर्यात के लिए निर्यातकों को अयस्क की आपूर्ति करने वाले गोवा के लौह अयस्क खोदने वालों को पैकिंग ऋण अग्रिम ।
129.	ैपविवि. ीएम ीसी. 97/सी. 297(एम)-72	30.10.1972	पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना तथा निर्यात ऋण (या ा सि सडी) यो ाना 1968 - नकद प्रोत्सा-न, कर वापस लेना आदि - ईसी ीसी यो ाना सं ंधी स्पष्टीकरण ।
130.	ैपविवि. ीएम. ीसी. 74/ सी. 297(एम)-72	30.08.1972	पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना तथा निर्यात ऋण यो ाना, 1968 - नकद प्रोत्सा-न, कर वापस लेना आदि - ईसी ीसी यो ाना सं ंधी स्पष्टीकरण ।
131.	ैपविवि ीएम. ीसी. 70 /सी. 297 पी-72	09.08.1972	खनि ा अयस्कों के निर्यात सं ंधी पैकिंग ऋण अग्रिम ।
132.	ैपविवि ीएम. ीसी 62 /सी. 297 (एम)-71	21.05.1971	पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना तथा निर्यात ऋण (या ा सि सडी) यो ाना, 1968- वित्त के अंतिम कड़ी तक उपयोग पर न सिर्फसूक्ष्म निगरानी रखने ाल्कि निर्यात आदेशों को समय से पूरा करने और समयावधि ा .ाने के आवेदनों की सावधानीपूर्वक ाँ ा करने के लिए ैंकों को सू ित किया ाना ।

133.	ैपविवि. ससीए ा. ीसी. 51 /सी.96 - 71	16.04.1971	पैकिंग ऋण और पोतलदानपश ा ऋण - या ा दर का स्वरूप - पैकिंग ऋण के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीमा तथा निर्यातकों को आस्थगित भुगतान शर्तों पर दिए गए ऋणों के अलावा पोतलदान पश ा ऋण
134.	ैपविवि. ीएम. 64/सी. 297 पी-70	12.01.1970	पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना - ा-ुमूल्य, कम ा-ुमूल्य पत्थरों, रत्नों और सिंथेटिक पत्थरों का निर्यात
135.	ैपविवि. ीएम. 1152/ सी. 297 (एम) -69	11.07.1969	रिज़र्व ैंक अधिनियम की धारा 17(3 क) के अंतर्गत अनुसू ित ैंकों को अग्रिम - उन निर्यातकों को अग्रिम ि िनके पास साखपत्र न-ीं ै या ि िनके निर्यात आदेश न-ीं ै तथा ो रा य व्यापार निगम, खनि ा और धातु व्यापार निगम एवं अन्य निर्यात गृ-ों के माध्यम से अपने निर्यात करते ैं - स्पष्टीकरण
136.	ैपविवि ीएम. 1064 /सी.297 पी -69	01.07.1969	-ीरों के निर्यात के सं ंध में पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना
137.	ैपविवि ीएम.1040 /सी.297पी-69	27.06.1969	पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना - ामड़ों की वस्तुओं के निर्यात ेतु रा य व्यापार निगम को ामड़े की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ार्मकारों को दिये ानेवाले अग्रिमों को पैकिंग ऋण मानना
138.	ैपविवि ीएम. 984 /सी.297 पी 69	19.06.1969	पोतलदानपूर्व ऋण- निर्माण संविदाकोरों को दिये ानेवाले कतिपय अग्रिमों को पैकिंग ऋण मानना
139.	ैपविवि ीएम. 682/सी.297 के- 69	07.04.1969	निर्यात ऋण- या ा लगाना
140.	ैपविवि ीएम. 588/सी.297 ए-69	26.03.1969	मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन के ज़रिए अयस्क के निर्यात से सं ंधित पैकिंग ऋण अग्रिमों का पुनर्वित्तपोषण
141.	ैपविवि ीएम.254/सी.297 ए-69	14.02.1969	पैकिंग ऋण अग्रिम- स्पष्टीकरण- ऐसे अग्रिमों की मं ूरी खोले ाने वाले किसी साख पत्र पर निर्भर न-ीं -ोनी ाि-ए
142.	ैपविवि ीएम. 1489/सी.297ए-68	07.11.1968	पैकिंग ऋण अग्रिम- ऐसे अग्रिम किस अवधि के लिए दिये ाए- स्पष्टीकरण
143.	ैपविवि ीएम. 1179/सी.297ए-68	19.08.1968	का ू के निर्यात सं ंधी पैकिंग ऋण अग्रिमों का पुनर्वित्तपोषण- अधिकतम या ा दर लागू -ोने का स्तर- अतिरिक्त स्पष्टीकरण
144.	ैपविवि ीएम. 974 /सी.297ए-68	27.06.1968	का ू के निर्यात से सं ंधित पैकिंग ऋण सुविधाएँ
145.	ैपविवि ीएम. 785/सी.297ए-68	18.05.1968	का ू के निर्यात से सं ंधित पैकिंग ऋण सुविधाएँ
146.	ैपविवि ीएम.558 /सी.297ए-68	06.04.1968	निर्यातकों को पैकिंग ऋण सुविधाएँ
147.	ैपविवि ीएम. 2732/सी.297के-63	13.03.1963	निर्यात ि िल ऋण यो ाना -यो ाना की मुख्य-मुख्य ातें - क्रियाविधियाँ

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सू ी

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	पैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) सं. 38/ 04.02.01/ 2005-06	14-11-06	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर या ा दरें
2.	पैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी) सं. 78/ 04.02.02/ 2005-06	18-04-2006	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर या ा दरें
3.	पैंपविवि. औनिऋअ. सं. 66/ 04.02.02/ 2004-05	31.12.2004	निर्यातककों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण- या ा की आवधिकता
4.	औनिऋवि. सं. 12/ 04.02.02/ 2003-04	18.05.2004	निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड यो ाना
5.	औनिऋवि. सं. 12/ 04.02.02/ 2002-03	31.01.2003	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - निधि का स्रोत
6.	औनिऋवि. सं. 9/04.02.02/ 2002-03	31.10.2002	निर्यात ऋण- पैकिंग ऋण परिसमापन तथा रुपये पैकिंग ऋण के अंतर्गत आ-रणें का पीसीएफसी में परिवर्तन
7.	औनिऋवि. सं. 21/ 04.02.01/ 2001-02	29.04.2002	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर या ा दर
8.	औनिऋवि. सं. 14/04.02.01/ 2000-01	19.04.2001	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर या ा दर
9.	औनिऋवि. सं. 13/04.02.02/ 1999-2000	17.05.2000	डायमंड डालर खाता यो ाना के अंतर्गत काम कर रे निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण
10.	औनिऋवि. सं. 47/3840/ 04.02.01/97-98	11.06.1998	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण
11.	औनिऋवि. सं. 28/04.02.01/ 96-97	17.04.1997	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण दिया ाना
12.	औनिऋवि. सं. 22/04.02.01/ 95-96	29.02.1996	निर्यात ऋण - विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण
13.	औनिऋवि. सं. 15/04.02.15/ 95-96	22.12.1995	एशियाई समाशोधन संगठन के सदस्य देशों को निर्यात - विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण यो ाना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण मं ूर किया ाना - निर्यात िल रीडिस्काउंटिंग यो ाना और विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानोत्तर ऋण यो ानाएँ
14.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 40/ 04.02.15/94-95	18.04.1995	विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण - वायदा विनिमय सुरक्षा
15.	औनिऋवि. सं. 30/04.02.02/ 94-95	14.12.1994	निर्यात पैकिंग ऋण के मामले में छूट
16.	औनिऋवि. सं. 27/04.02.15/ 94-95	14.11.1994	विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण के अंतर्गत पैकिंग ऋण में ि-स्सेदारी

17.	औनिऋवि. सं. 13 04.02.02/94-95	26.09.1994	विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट पोतलदानपूर्व ऋण यो ना - एक निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाई द्वारा दूसरी निर्यातोन्मुख इकाई /निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाई को आपूर्ति
18.	औनिऋवि. सं. 10/04.02.15/94-95	03.09.1994	विदेशी मुद्राओं में निर्यात वित्त
19.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 43/ 04.02.15/93-94	18.05.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण -' ालू खाता' सुविधा उपल ध कराया ाना
20.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 37/ 04.02.15/93-94	30.03.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - स्पष्टीकरण /छूट
21.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 32/ 04.02.11/93-94	03.03.1994	निर्यात िलों की विदेश में रीडिस्काउंटिंग और विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - विथोल्डिंग टैक्स
22.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 31/ 04.02.15/93-94	03.03.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - ीरों के निर्यात के लिए ' ालू खाता' सुविधा उपल ध कराया ाना
23.	औनिऋवि. सं. ईएफडी.30/ 04.02.15/93-94	28.02.1994	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण - स्पष्टीकरण
24.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 21/ 04.02.15/ 93-94	08.11.1993	विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण -
25.	औनिऋवि. सं. ईएफडी. 14 / 04.02.11/93-94	06.10.1993	निर्यात िलों की विदेश में रीडिस्काउंटिंग

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सू ी
निर्यात ऋण - ग्रा-क सेवा

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ैपविवि.डीआईआर.(ईएक्सपी)बीसी सं. 61/ 04.02.01(डब्ल्यू ी)/2005-06	07.02.2006	निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए कार्यकारी दल की सिफारिशें
2.	ैपविवि. आईईसीएस सं. 43/ 04.02.10/2004-05	17.09.2004	रा य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का समापन तथा रा य स्तरीय ैंकर समिति के अंतर्गत अलग उप-समिति का गठन
3.	औनिऋवि 14/ 01.01.43/ 2003-04	30.6.2004	" भारतीय रिज़र्व ैंक के औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के कार्यों का ैंक के अन्य विभागों के साथ विलयन"
4.	औनिऋवि 12/ 04.02.02/ 2003-04	18.05.2004	निर्यातकों के लिये गोल्ड कार्ड यो ना
5.	औनिऋवि 13/ 04.02.01/ 2003-04	18.05.2004	गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों के लिए निर्यात या ा दरें
6.	औनिऋवि 23/ 04.02.02/ 2001-02	07.05.2002	मानितं निर्यातों के लिये रियायती रुपया निर्यात ऋण
7.	औनिऋवि 21/ 04.02.01/ 2001-02	29.04.2002	विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर या ादर
8.	औनिऋवि 3/ 04.02.01/ 2001-02	30.08.2001	-ीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात पर प्रति ंध
9.	औनिऋवि सं.7/04.02.02/2000-01	05.12.2000	-ीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात पर प्रति ंध
10.	औनिऋवि सं.4/04.02.02/2000-2001	10.10.2000	निर्यात ऋण - कार्यविधी में सुधार के सं ंध में निर्यातकों को सु ाव
11.	औनिऋवि सं.1/3840 /04.02.02 / 97-98	13.07.2000	-ीरा निर्यातकों को दिया गया ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात पर प्रति ंध
12.	औनिऋवि सं.3/04.02.01/99-2000	07.09.1999	निर्यात ऋण दिये ाने सं ंधी कार्यविधी का सरलीकरण
13.	औनिऋवि सं.17/04.02.01/95-96	28.02.99	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण कार्यविधी का सरलीकरण
14.	औनिऋवि सं.ईएफडी 30/ 04.02.02/ 97-98	31.12.97	निर्यात ऋण सं ंधी आँकडे
15.	औनिऋवि सं.. ईएफडी 27/04.02.02/ 95-96	05.06.96	निर्यात ऋण सं ंधी आँकडे ैंकों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुती
16.	औनिऋवि सं.. ईएफडी 48/04.02.02/ 94-95	22.05.95	निर्यात ऋण सं ंधी आँकडे
17.	औनिऋवि सं..9/04.02.02/94-95	29.08.94	निर्यात ऋण - ैंकों के कार्यनिष्पादन के सू ाक
18.	औनिऋवि सं.. ईएफडी 45/04.02.02/ 93-94.	03.05.94	निर्यात ऋण सं ंधी आँकडे

19.	औनिऋवि सं. ईएफडी.22/04.02.02/ 93-94	08.12.93	निर्यात ऋण ं ाा सं ंधी समिति ऋणों और अग्रिमों की विश्रोष रूप से निर्यात ऋण के संदर्भ में मं ूरी प्रक्रिया में संश्राोधन
20.	औनिऋवि सं. ईएफडी.22/04.02.02/ 93-94		निर्यात ि लों की आय ामा -ोने में विलं ा -ोने पर निर्यातकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान
21.	औनिऋवि सं. ईएफडी.18/819 पीओएल/ईसीआर/ 92-93	26.12.92	निर्यात ऋण लक्ष्य
22.	औनिऋवि सं. 8/ईएफडी/819 - पीओएल/ईसीआर /92-93	05.11.92	उधारकर्ताओं को, विशेषत: निर्यातकों के सं ंध में, ऋण सीमाओं की मं ूरी में विलं ा
23.	औनिऋवि सं. 3/ ईएफडी/ ाीसी /819/ पीओएल-ईसीआर/92-93	24.08.92	निर्यात ऋण सं ंधी आँकडे
24.	ैंपविवि. सं. ाीपी. ाीसी.58/ सी. 469-91	07.12.91	ैंकों में ऋण की मं ूरी में निर्यातकों को -ोने वाला विलं ा
25.	औनिऋवि सं. ईएफडी. 17/003 - एसईएम /91-92	31.08.91	निर्यातों का वित्तपोषण
26.	औनिऋवि सं. ईएफडी. ाीसी 40/819- पीओएल-ईसीआर/91	04.03.91	समय से और पर्याप्त निर्यात ऋण की व्यवस्था
27.	औनिऋवि सं. ईएफडी/ ाीसी 35 / 819/ पीओएल/ईसीआर /90-91	15.01.91	निर्यात ऋण सं ंधी आँकडे
28.	औनिऋवि सं. ईएफडी. ाीसी 191 / 819- पीओएल-ईसीआर /87	24.11.87	निर्यातों का वित्तपोषण -समय से और पर्याप्त निर्यात ऋण की व्यवस्था
29.	ैंपविवि सं ाीपी ाी सी 47/ सी.469(ड ल्यू) 87	08.10.87	निर्यातकों को -ोने वालि कठिनाइयाँ
30.	ैंपविवि सं ाीपी ाी सी 73/ सी.469(ड ल्यू) 84	02.08.84	निर्यातकों को -ोने वालि कठिनाइयाँ
31.	औनिऋवि सं. ईएफडी. ाीसी 24 / 819- पीओएल-ईसीआर /84	28.05.84	निर्यातों का वित्तपोषण
32.	ैंपविवि सं ईसीसी ाी सी 67/ सी 469 एल (12)- 81	02.06.81	
33.	ैंपविवि सं ईसी सी ाी सी 53/ सी.297 पी- 78	17.04.78	निर्यातों का वित्तपोषण
34.	ैंपविवि ाीएम 680/सी.297 के -69	07.04.69	ैंकों द्वारा निर्यात परामर्श्रादाता कार्यालय खोला ाना